The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar):** in the Chair.

RESOLUTION RE URGENT NEED TO AMEND EXISTING ELECTION LAWS

श्री जय प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं :—

"भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चात आम चुनावों के स्थगित कर दिए, जाने, रद्द कर दिए जाने और पंजाब राज्य में लोक सभा और राज्य विधान सभा के चुनाव अचानक स्थगित कर दिए जाने के, जिससे कि उस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बहाल किए जाने को गंभीर क्षति पहुंची है, तरकी को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह वर्तमान चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए तुरन्त एक विधान लाए ।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने अपने संकल्प में कहा है पिछले जो लोक सभा और कुछ विधान सभाओं के चुनाव सम्पन्न हुए उनमें कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके लिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि चुनाव के जो वर्तमान कानून है जिनकी व्यवस्था एक तो संविधान के अनुच्छेद 324 में है और उसके बाद हमारा जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है 1950 और 1951 का और उसके अन्तर्गत बहुत से जो नियम बनाए गए है या आज्ञाएं प्रसारित हुई हैं उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है । मैं यह समझता हूं कि वर्तमान जो सरकार है उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आयेंगे तो इलेक्टोरल रिफार्म्स या चुनावी कानून में हम संशोधन करेंगे। इसलिए मैं वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है इसका जो चुनाव घोषणा पत्र है इलेक्टोरल रिफार्म्स के संबंध में उससे ही अपनी बात शुरू करता हूं । इस चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 49 में कहा गया है :

"The Congress and the people take immense pride in the fact that India is the largest democracy in the world. We are, however, fully conscious of the need to improve and strengthen the democratic system through electoral reforms. The key issues that need resolution are: Number (1) election related violence; Number (2) use of money power and Number (3) caste and communal considerations. The Congress will find solution to these issues through a national debate. The congress will support the adoption of electronic voting machines for all future elections. We will also support the introduction of identity cards to all voters."

लेकिन संसद के केन्द्रीय कक्ष में जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण सुन रहा था तो उसको सुनने के बाद और उसको पढ़ने के बाद मुझे घोर निराशा हुई उसका कारण यह था कि उस अधिभाषण में एक शब्द भी राष्ट्रपति जी ने नहीं कहा कि जो वर्तमान चुनाव कानून है उसमें परिवर्तन या संशोधन करने का सरकार का इरादा है अथवा नहीं । महोदय, हमारे देश में जो राष्ट्रपति कानून अभिभाषण है वह सरकार की नीतियां है उन्हीं का एक तरीके से लेखा जोखा होता है । चुनाव कानून का विषय इतना महत्वपूर्ण था कि कि उसके संबंध में जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा नहीं की गयी तो मुझे इस संबंध में इस सरकार की नीयत पर भी शक पैदा हो गया । उसके कारण हैं । सबसे पहले तो मैं यह बतलाना चाहूंगा कि हमारे पूर्व जो न्याय मंत्री था श्री दिनेश गोस्वामी जी उन्होंने 3 संशोधन विधेयक 30 मई 1990 को इस सदन में ही प्रस्तुत किये थे । एक था रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल बिल 1990 जिसके जो

उद्देश्य और कारण होते हैं उसमें उन्होंने यह भी बतलाया था कि जितने भी राजनतिक दल हैं संसद में उनके प्रतिनिधियों की एक बठक तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 9 जनवरी, 1990 को बुलाई थी और उसके बाद चुनाव सुधार के संबंध में एक कमेटी बनाई गयी थी। 9 जनवरी, 1990 को जिसमें कि इस देश के विद्वान न्यायविद और साथ-साथ जितने भी बड़े राजनैतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 मई 1990 को सरकार के पास प्रस्तुत कर दी। जाहिर है कि उस कमेटी में आज के सत्ताधारी दल के लोग भी प्रतिनिधि थे। उसके बाद 28 मई 1990 को यह संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। उसी दिन "द कांस्टीट्यशन 17 अमेंडमेंट बिल, 1990 भी प्रस्तुत किया गया। चूंकि बहुत दिनों से यह चर्चा चली आ रही थी कि जो चुनाव आयोग है जिसकी नियुक्ति संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होती है और जो केवल सरकार के हाथ में होती है उसमें यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रपति महोदय, राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और लोकसभा के ही जो विपक्षी नेता हैं और यदि लोक सभा में कोई विपक्षी नेता नहीं है तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके जो नेता हों, इन तीन पदाधिकारियों से परामर्श करके, सलाह करक तब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें, तो दूसरा यह जो संविधान विधेयक था वह इस संबंध में था। तीसरा था परिसीमन या डीलिमिटेशन के सिलसिले में। एक तो मैं यह चाहता हूं कि ये जो तीनों संशोधन विधेयक हैं इनको पारित कराने के लिए सरकार की ओर से न केवल प्रयास किया जाए बल्कि यह स्पष्ट रूप में आश्वासन मिलना चाहिए, यह संशोधन विधेयक और यदि इन संशोधन विधेयकों में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसके साथ ही इनको कराने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने संकल्प में इस बात की भी चर्चा की है, पंजाब के चुनाव की चर्चा की है। इसलिए मैं सब से पहले पंजाब के चुनाव किस तरीके से स्थागित किए गए इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पर हो, यदि एक व्यक्ति के हाथ में निरंकश अधिकार दिए जाएंगे तो फिर उसका दुरुपयोग होने की भी संभावना रहती है। जब चुनाव की उद्घोषणा हुई, राष्ट्रपति जी ने घोषणा जारी की और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आफ पीपूल्ज एक्ट की धारा 30 के अंतगत भी विज्ञप्ति जारी हुई। उसके बाद यह घोषणा की गई थी कि 22 तारीख को पंजाब के चुनाव कराए जायेंगे। जब पंजाब के चुनाव कराने का फैसला लिया गया तो कुछ पार्टीज तो चाहती थीं कि पंजाब के चुनाव न कराए जाएं और तत्कालीन पार्टी के नेता और अध्यक्ष श्री राजीव गांधी जी ने चुनाव कराए जाने का विरोध भी किया था और साथ-साथ फिर उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से यह फैसला लिया है कि पंजाब की जो 117 विधान सभा की सीटें हैं और 13 जो लोक सभा की हैं, उनको उनकी पार्टी बहिष्कार करेगी और उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने वहां पर अपना नामांकन प्रस्तत नहीं किया लेकिन 22 तारीख को जो चुनाव था उसक ठीक 30 घंटे पूर्व पंजाब के चुनाव निहायत ही अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग की ओर से टाल दिया गया। जब प्रैस वालों ने इलैक्शन कमीशन से 16 जून को पूछा तो इलैक्शन कमीशन ने यह कहा :

"In Punjab election wil be held on June 22, as scheduled."

इसके बाद 18 तारीख को भी बराबर वह कहते रहे कि. पंजाब में चुनाव अपनी निर्धारित तिथि के अनुसार होंगे। लेकिन जब श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई उसके ठीक एक दिन पूर्व पंजाब के वर्तमान राज्यपाल महोदय ने अपने रेडियो प्रसारण में और टी०वी० प्रसारण में कहा कि पंजाब में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और चुनाव वहां पर होंगे और इसके सिलसिले में उनकी बात-चीत चुनाव आयुक्त से भी हो चुकी है लेकिन 21 तारीख की सुबह या शायद 20 तारीख की सुबह तीन बजे के करीब उनको एक सूचना मिलती है, उनको जगाया जाता है और यह कहा जाता है कि पंजाब का चुनाव टाल दिया गया। मैं इस बात को मानता हूं कि जो चुनाव आयक्त है उनकी अधिकार सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रदेश की चुनाव की

तिथि को रखने का अधिकार है लेकिन एक बार जब वहां चुनाव की तिथि तय हो गई और जब चुनाव की तिथि को को उन्होंने टालने का फसला लिया तो आखिर उनके पास क्या आधार था कि वहां पर पंजाब में चुनाव निष्पक्ष या भय रहित और स्वतंत्र वातावरण में नहीं हो सकते ह ? दो ही उनके पास सूचना के आधार हो सकते थे केन्द्र सरकार या पंजाब की सरकार । पंजाब की सरकार वह चूंकि वहां पर विधान सभा नहीं है, मंत्री मण्डल नहीं है तो वहां राज्यपाल ह, राज्यपाल ने किसी भी स्तर पर कभी भी चुनाव आयोग से इस बात की सिफारिश नहीं की पजाब के चुनाव को टाल दिया जाए और न ही केन्द्र सरकार की ओर से कोई सिफारिश की गई । चुनाव आयुक्त ने यह जरूर कहा कि मेरे पास अपनी सूचना है । तो मैं यह जानना चाहता हं कि आखिर चुनाव आयुक्त के पास अपनी उनकी कौन सी सूचना थी जिसके आधार पर उन्होने चुनाव होने के ठीक तीस घंटें पहले चुनाव टाल दिया जबकि चुनाव की कनवसिंग बंद हो चकी थी । क्योंकि नियम यह है कि नियम के अंतर्गत वोट की प्रक्रिया के करीब करीब शायद 48 घंटें पहले कनवैसिंग बंद हो जाती है इसलिए में निवेदन करना चाहता हं और मैं जानकारी भी करना चाहता हूं कि आखिर कौन सी आधार था कौन सी सूचना थी, कौन सा सूत्र था जिसके आधार पर चुनाव आयत इस नतीजे पर पहुंचे कि पंजाब के चूनाव को टाल दिया जाए । चुनाव आयुक्त रोज अपनी कांफंस किया करत थे और इस संबंध में 20 जून के हिन्दस्तान टाइम्स में वह समाचार छपा है जो उन्होंने चुनाव आयोग के दफतर में 19 जून को बैठ करके कहा था ।

"Chief Election Commissioner Mr. T. N. Seshan today once again said that there is no proposal for a change in the date of polls in Punjab and that the June 22 date announced earlier stands.

Mr. Seshan maintained that poll arrangements are complete in Punjab. When specifically asked if the commission thought that the present situation in the troubled state was conducive for holding free and fair poll, Mr. Seshan said "no change" in the dates.

Again when asked if the Commission was satisfied that a free and fair poll can be held there notwithstanding threats by the militants and the killings, Mr Seshan again answered that there was 'no conclusion to the contrary'."

This was the statement of Mr. Seshan before a press conference which was held at the Election Commission Office at Ashoka Road on 19th June at about 4.00 P.M. and on the morning of the 21st at 1.50 A.M. or 2.00 A.M. the decision was taken that Punjab election will be postponed.

माननीय, उसके बाद क्या हुआ कि राज्यपाल महोदया बेचारे सो रहे थे, तीन बजे उनको जगाया गया और कहा गया कि पंजाब का चुनाव टाल दिया गया है तो कोई भी अधिकारी किस तरीके से गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है इस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता ह । इस संबंध में मैं चाहता हूं कि जब सरकार अपना विधेयक लाए तो कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में अधिकार हैं वह अपने अधिकारों का दुरूपयोग न करे और दुरुपयोग करके जिस तरीके से पंजाब का चनाव टाला गया है ऐसी कोई परिस्थिति भविष्य में पैदा न हो, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । इस संबंध में मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी की भी जो राय थी या उनका जो वक्तव्य था उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हं । उनका एक इंटरव्यू छपा है पंजाब पोल्ज पोस्टपोनमेंट के अंतर्गत, 5 जुलाई को अखबारों में छपा है :

"Former Prime Minister Chandra Shekhar has said the decision to postpone the polls in Punjab was 'the worst decision that could have been taken and I think it will have its disastrous implications in the

future. It was not just a decision to postpone the election but it was a decision to shatter any hope of democratic process in Punjab'."

He goes on to say when the correspondent put a question to him:

"Who do you think is responsible for this rather high-handed decision?"

His answer was:

"Obviously the decision was taken by the Chief Election Commissioner but I think everybody was involved, when I say everybody, the Government, the President and the Election Commissioner. I tell you because, at the moment when they took the decision to postpone elecions, in all decency they should have informed me. It was not the question of just postponing elections but it was the question of maintaining law and order also."

"At 2 o'clock at night they took a decision without informing the Government. Whatever Government was there at the time, it was very indiscreet on his part to do this without informing the Government..."

और मान्यवर, यह विषय लोक सभा के सामने भी आया और जब वह लोक सभा के सामने आया, जब वहां पर डिबेट हो रही थी तो उस डिबेट में भी तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इंटरवीन किया और उन्होंने अपनी वही राय रखी

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You cannot refer to that House.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I am not referring to it. But I think I can go through it and I can speak after going through it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I thought that you were quoting.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I am not quoting.

तो उन्होंने भी इस बात को वहां पर कहा कि जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लिया, उसके बारे में न हमें जानकारी दी गयी, न उस फसले में हमारा कोई हाथ था । इसलिए मैंने सिर्फ इशारा कर दिया है उस संबंध में कि जब सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था तो अगर वह कोई संशोधन विधेयक लाती है तो उसमें इस ओर भी विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति के हाथ में जिस तरह से ताकत दी गयी और उस व्यक्ति ने 24 घंटे पहले कहा कि पंजाब में ऐसे हालात हैं कि वहां पर चुनाव कराए जाएं और उसके बाद कहा कि वहां ऐसे हालात नहीं हैं कि चुनाव कराए जाएं, यह ठीक नहीं था । इस संबंध में उनकी सूचना का आधार भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि न पंजाब की सरकार ने और न केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उनको कोई सूचना दी ।

मान्यवर, मैंने अपने संकल्प में इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि किस तरीके से बहुत से चुनाव काउंटरमेंड किए गए । इस संबंध में मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश के तीन लोक सभा चुनाव क्षेत्र इटावा, बुलन्दशहर और मेरठ तथा उसके अंतर्गत जो 15 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । मान्यवर, 20 मई को वहां चुनाव होने थे, लेकिन ठीक उसी दिन जिस दिन अमेठी का भी चुनाव था, चुनाव के सिलसिले में वहां पर कुछ घटनाएं हुई परन्तु बिना रिटर्निंग आफिसर या प्रिसाइडिंग आफिसर की रिपोर्ट को प्राप्त किए चुनाव आयोग ने तीनों लोक सभा के चुनाव और उनके अंतर्गत जो 15 विधान सभा के चुनाव क्षेत्र थे, उनके चुनाव को काउंटरमेंड कर दिया और काउंटरमेंड करने के पहले उन्होंने यह जरूरत नहीं समझी कि जितने भी वहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उनसे भी जानकारी प्राप्त की जाती या उनसे भी पूछा जाता । मान्यवर, मेरी अपनी राय यह है कि बिना रिटर्निंग आफिसर/प्रिसाइडिंग आफिसर की रिपोर्ट के इलेक्शन कमीशन चुनाव काउंटरमेंट नहीं कर सकता । इसलिए इसमें काउंटरमेंड का जो प्रोविजन है, उसकी ओर ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं । यह 58(ए) में है ।

"Adjournment of poll or countermanding of election on the ground of booth capturing:

If at any election boothcapturing has taken place at the polling station or at a place fixed for the poll, hereinafter referred to as 'the place', in such a manner that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained or boothcapturing takes place in any place while counting votes in such a manner that the result of that place cannot be ascertained, the Returning Officer shall forth with report the matter to the Election Commission."

Sub-clause (2):

"The Election Commission shall, on the receipt of report from the Returning Officer under sub-section (1) and after taking all material circumstances into account either to countermand the poll...."

My submission is that first there should have been a report from the Return Officer because the law says that "the Election Commission shall on receipt of the report from the Returning Officer under sub-section (1) and after taking all material circumstances into account..." My submission is that without the report of the Returning Officer the Election Commission could not have taken other material circumstances into consideration...It is a mandatory provision of the law under Section 58(a) of the Representation of the People Act that there should be a report from the Returning Officer

तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट, विशेषकर इटावा का जो लोक सभा का चुनाव काउण्टरमेंड किया गया, स्थगित किया गया, मान्यवर, इसके लिए वहां पर रिटर्निंग आफिसर की कोई रिपोर्ट नहीं थी और न वहां जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे चाहे विधान सभा के रहे हों या लोक सभा के, उनसे भी नहीं पूछा गया । मैं इस बात को मानता हूं कि कानून में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि इस सिलसिले में फैसला करने से पहले चुनाव आयोग निश्चित रूप से जो संभावित उम्मीदवार, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बुलाकर पूछें, लेकिन फिर भी प्राकृतिक न्याय प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस का एक तकाजा है कि बिना जांच किए हुए इलेक्शन कमीशन को वहां का चुनाव काउण्टरमेंड नहीं करना चाहिए । इस संबंध में उनका ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने सुनवाई का मौका भी दिया बाद में

मान्यवर, मैंने इस विषय का और ध्यान इसलिए आकर्षित किया कि यदि यह सरकार की मंशा है चुनावी कानून में संशोधन करने की, तो इस सिलसिले में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से कानून में प्रावधान करना चाहिए कि उनका पालन हो । जो अधिकारी इन कानून का पालन न करें चाहे वह चुनाव आयुक्त ही क्यों न हो, उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मान्यवर, तीसरा मैंने इसमें ध्यान आकर्षित किया है कि 21 मई को श्री राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या और बर्बर हत्या के बाद जिस तरीके से चुनाव टाले गए चुनाव आयोग के द्वारा, वह भी, जो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है उसके विरूद्ध थे क्योंकि करीब-करीब रात के सवा दस बजे श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या हुई और उसके बाद 22 मई की सुबह देशवासियों को यह पता लगता है कि जो चुनाव 23 मई और 26 मई को थे सेकेण्ड राउण्ड के, वह 23 मई के चुनाव स्थगित कर दिए गए है 12 जून के लिए और 26 मई के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं 15 जून के लिए ।

मान्यवर, आम तौर से जब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो परिपाटी यह रही है, कन्वेन्शन यह रही है कि इलेक्शन कमीशन मुख्य-मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाते हैं और बैठकर उनसे सलाह-मशविरा

करते हैं । फिर सलाह-मशविरा करने के बाद अपने विवेक से फैसला लिया करते हैं । लेकिन, सारे देश में चुनाव हो रहे थे और एक व्यक्ति ने सारे चुनाव को बिना किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि से सलाह-मशविरा किए हुए, बिना तात्कालीन प्रधानमंत्री से बात किए हुए, चुनाव टाल दिए । इसके संबंध में जो खबरें आई थीं अखबारों में, वह केवल यह थी कि --

"T. N. Seshan met the President Shri R. Venkataraman on Wednesday night within hours of the assassination of the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. The meeting took place to take stock of the situation, the security environment in the country, it is understood..."

और, उसके बाद उन्होंने फैसला किया--

"...that the Chief Election Commissioner, Shri T. N. Seshan announced the decision on deferred polls after meeting with the President Shri R. Venkataraman at Rashtrapathi Bhavan last night. According to official sources, the Prime Minister, Shri Chandra Shekhar and the Cabinet Secretary, Shri Naresh Chandra, also later joined the discussion."

मान्यवर, मेरी जानकारी यह है कि जब वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके पहले ही यह फैसला लिया जा चुका था और सुबह चुनाव-आयोग ने टेलीविजन के द्वारा सारे देश को सूचित किया कि चुनाव फलाफलां तारीख के लिए टाल दिए गए हैं । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझा भी नहीं... (*व्यवधान*)....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि तथा न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : आप भी मंत्री थे । आपके अनुसार प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले निर्णय लिया गया । ....(*व्यवधान*)....

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I was not present here on that day. I was at Lucknow...(*Interruptions*).

SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM: But you were in the Cabinet...(*Interruptions*)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I never enquired from the Prime Minister.

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी तमिलनाडु से होकर हिंदी बोल रहे हैं और आप अंग्रेजी बोल रहे हैं माननीय मालवीय जी । बड़े दुख की बात है ।....

3.00 P. M.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह निवेदन कर रहा था ....(*व्यवधान*)....

श्री यशवन्त सिंहा (बिहार) : उनके लिए या इनके लिए

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: दोनों के लिए।

मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं और उसकी मैं चर्चा भी इसलिए कर रहा हूं कि चनाव आयक्त का चुनाव के सिलसिले में टेलीविजन पर एक इन्टरव्यू भी आया था, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी भी चुनावी व्यवस्था होती है उसमें चनाव आयुक्त को अधिकार है चुनाव की तारीख को तय करने का । अगर एक दफा प्रेजिडेंट की ओर से नोटिफिकेशन हो जाता है और अगर वह तारीख टलती है तो फिर क्या तारीख होगी, सबसे सलाह-मशविरा करने के बाद उसको तय करने का अधिकार चुनाव आयक्त को है । लेकिन उसके बाद जब उनका इन्टरव्यू हुआ तो वह शायद 9 जून, 1991 को हुआ तो टी०वी० पैनल का डिस्कशन था और उसमें प्राण चोपड़ा थे, शायद प्रभु चावला भी थे, तो उस टी.वी. पैनल डिस्कशन में उन्होंने यह कहा कि :--

"The decision was dictated to me."

यानी श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव की तारीख टालने का जो फैसला लिया गया, उसके लिए श्री शेषन कह रहे हैं कि :--

The decision was dictated to him.

किसने डिक्टेट किया, क्यों डिक्टेट किया, किन कारणों से किया, मैं नहीं जानता, लेकिन टेलीविजन पर उन्होंने स्वयं कहा है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और बार-बार कह रहा हूं कि चुनाव आयुक्त का जो कन्डक्ट रहा है सारे चुनाव के समय, वह कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। और उनका खुद यह कहना कि इस सिलसिले में जो फैसला उनको डिक्टेट किया गया, कोई अखबार में नहीं छपा, उन्होंने टेलीविजन के आगे खुद इस बात को कहा जो इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं वे किसी न किसी के प्रभाव में काम कर रहे थे, चाहे वह प्रभाव रिमोट कंट्रोल द्वारा ही क्यों न रहा हो। इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था और मैं इस बात को कभी सोच भी नहीं सकता कि इन परिस्थितियों में देश में कोई परिस्थिति पैदा होगी कि चुनाव टाले जाएं। अगर कोई अदृश्य शक्ति है तो मैं समझता हूं कि वह अदृश्य शक्ति इस देश को बचा लेगी दुर्घटना घटित होने से लेकिन फिर भी चूंकि दुर्घटना घट गई, तो क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी कि चुनाव आयुक्त ने 22 तारीख को जो राजनीति दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाए बगैर, उन्होंने एक तरफा फैसला ले लिया? उनका अधिकार था, वे फैसला लेते, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सलाह-मशविरा चलता है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि भविष्य में जब कभी भी चुनावी संशोधन आएगा तो इस सिलसिले में सरकार द्वारा निश्चित रूप से कदम उठाए जाएंगे।

मैं अपनी बात को फिर यह कहकर समाप्त करता हूं कि लोकतंत्र परिपाटी पर चलता है, लोकतंत्र व्यवस्था पर चलता है और लोकतंत्र कानून पर भी चलता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतने अधिकार देना कहां तक उचित होगा? भविष्य में इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए और जब मंत्री जी बाद में उत्तर देंगे, उन तीन विधेयकों के संबंध में जरूर उत्तर देंगे जिनकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है और जिनको 30 मई, 1990 को तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी जी ने इसी सदन में प्रस्तुत किया था और वे आज तक लंबित पड़े हुए हैं, पिछली सरकार ने उनको विदड्रा नहीं किया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Mr. Sukomal Sen.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I rise to support the Resolution moved by Shri Satya Prakash Malaviya.

डा० रत्नाकर पांडेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे साथी श्री सुरेश पचौरी जी ने, एक सैकिन्ड के लिए माननीय सदस्य मैं क्षमा चाहूंगा, ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : रत्नाकर जी, क्या बोल रहे हैं?

डा० रत्नाकर पांडेय : दरगाह अजमेर शरीफ बिल शुक्रवार को रखा गया था और हमारे साथी श्री सुरेश पचौरी जी ने उसको इन्ट्रोडयूस किया था। हमें उसकी अंग्रेजी प्रति तो मिल गई है, लेकिन हिन्दी की प्रति नहीं मिली है। .... **(व्यवधान)** .....

श्री बेकल "उत्साही" (उत्तर प्रदेश) : हिन्दी में नहीं था तो उर्दू में आना चाहिए, दरगाह का मामला है।

डा० रत्नाकर पांडेय : और संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि केवल अंग्रेजी में न आए .... बाई लिंगुअल का विधान है और आज भी खोजवाया है मगर नहीं मिला। हिन्दी प्रति मिले। आज मिल जायें हम लोगों को ताकि आगे आयेगा तो उस पर हम लोग विचार कर सकें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आज जरूर इंतजाम किया जायेगा।

डा० रत्नाकर पांडेय : आज मिल जाये हम लोगों को, ऐसी व्यवस्था करादें... (व्यवधान) यही तो प्रार्थना है आपसे कि आप नमिलनाडु के हैं, जहां हिन्दी का विरोध है । इतनी अच्छी हिन्दी बोलते हैं आप और वहां अंग्रेजी में बिल आये आपके संसदीय कार्य मंत्री रहते हुये । थोड़ा सा इसमें कसिये । क्यों होता है मंत्रालय में यह काम ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह मंत्रालय के काम नहीं हैं ।

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I rise to support the Resolution moved by Shri Satya Prakash Malaviya, my friend and colleague, as it relates to amending the existing electoral laws. Now, Sir, in his Resolution he has given his own reasons why he wants this amendment. Not that I agree on all points. But I have my own reasons to support the contention that electoral laws should be amended.

Sir, since 1952 we have been witnessing several elections in our country, and we had the tenth Lok Sabha election. It means before that 9 elections have been held in the country. And a number of Chief Election Commissioners have conducted the elections. Not that all the elections were very peaceful and not that no violence took place in them. Yes, these were happening in different degrees in different elections. Never in the past from any quarter so much of complaint has been raised against the Chief Election Commissioner about the conduct of elections as it happened this time. After observing the conduct of the Chief Election Commissioner in holding the elections—in countermanding, in postponing or threatening certain State Governments, interfering with State Governments' affairs — I have now come to the conclusion that there are certain lacunae in our election laws which must be removed, otherwise it will not be guaranteed that the Chief Election Commissioner will function impartially and fairly. This time, I am sorry to say, the Chief Election Commissioner to a great extent has denigrated that high constitutional position and has functioned in a very partisan manner. From the manner in which he dealt with the election matters and the manner in which he dealt with State Governments and officials, it looks that he had something in mind and to achieve that object he has tried to conduct the entire electoral process. Mr Malaviya has given the instance of the recent Punjab elections, and he has quoted from the law where elections were countermanded, where elections were re-ordered. All that is provided in the law. I am not repeating anything which he has already quoted. I can cite an example how he has overstepped his jurisdiction and violated the electoral law.

Sir, I tell your a simple example. In the State from which I hail, say, Howrah constituency, the election was held on the 20th of May. The next leg of the election was to be held on the 22nd and 23rd May. Meanwhile, the tragic assassination of Rajiv Gandhi took place and the election was postponed by three weeks. Sir, hadnot Rajiv Gandhi been killed or elections postponed by three weeks, the result of the election in Howrah that took place on the 20th could have come up by 25th May.

But after two weeks of holding elections in Howrah on 20th May, all of a sudden the Chief Election Commissioner ordered repoll in 34 booths of the Howrah constituency. He ordered repoll in 34 booths after 14 days. So long he kept silent. By now the result would have come out had not Rajiv Gandhi been killed and the elections postponed. Sir, the rule says that unless the Returning Officer reports to that extent, the Chief Election Commissioner will not order repoll in any constituency, in any booth. But the Returning Officers in that constituency never reported for repoll. Had they reported, it would have been in order. But they never reported. But some manipulation took place in the Chief Election Commissioner's office by some political parties. And after 14 days, orders were given for repoll. Sir, this is a simple example. What more glaring instance can be cited as to how the Chief Election Commissioner functioned arbitrarily?

Sir, I come to the other States. Sir, the Chief Election Commissioner was threatening some States like Bihar and West Bengal. He made these two States a target of attack. But he spared most of the other States. At long last, he gave a threat to a particular constituency in Andhra Pradesh to show that Andhra Pradesh is ruled by the Congress Party and he is impartial. But all along, from the very beginning of the electoral process, he was threatening these two States of Bihar and West Bengal that elections will be countermanded and that he will not allow anybody to come to the Parliament without coming through the proper process, and all these things. And he named a number of constituencies where he feared that rigging will take place. One of them is the North Eastern Constituency of Calcutta city from where Mr. Ajit Panja, who is now a Minister, was elected. And in West Bengal, he named another constituency, Jhargam, where not a single person was killed, where not a single incident of violence took place. And he threatened that election will be countermanded if proper law and order is not maintained. Sir, it is not only this case. It has been reported in a newspaper, not a newspaper run by our Party, but a newspaper which wholeheartedly supports the Congress party and day in and day out condemns our Party, that newspaper reported that the Returning Officer of the North East Calcutta constituency from where Mr. Ajit Panja was elected, recommended repoll in 12 booths. But that was not done. This is how the things happened. And the newspaper also reported that there was a talk in the Chief Election Commissioner's office that before submitting the recommendation, that Returning Officer should talk to Mr. Ajit Panja and other Congress leaders. Sir, it is not my concoction. It is something that came out in a newspaper which wholeheartedly supports the Congress Party. This is how the Chief Election Commissioner tried to vitiate the whole election process in West Bengal. Sir, he interfered with the State Governments' affairs in regard to the appointment of Home Guards. Bihar and West Bengal were the victims. Ultimately he stuck to his position in Bihar. But he could not stick to his position in West Bengal because the West Bengal Government was adamant. Ultimately he had to accede to the appointment of Home Guards by those two Governments. Sir, appointment of Home Guards or appointment of police personnel to help the electoral personnel in guarding the boxes, etc, is the sole prerogative of the State Governments. But the Election Commission interfered in these things in a partisan way. Sir, it is not only this. There is a rumour. Perhaps, there is some truth in it. And I know from the West Bengal Secretariat that the Chief Electoral Officer of West Bengal was pressurised not to do anything without consulting Mr. Ajit Panja because some people hoped that he would be the next Chief Minister in West Bengal. These things also went to that extent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sen, let us not go into that.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, Now I come to another example. In Tripura.... (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR: Mr. Panja is not here. You are referring to some rumours. What is this?

SHRI SUKOMAL SEN: I told you, Sir, that it is all in the air.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us not go into that.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I come to another State, Tripura.

Sir, 10 IAS officer in Tripura a small State like a district, had sent a Memorandum to the Chief Election Commissioner, six weeks before the elections took place, saying that no environment exists in Tripura for holding free and fair elections. How many IAS officers are there in Tripura? Not more than 20 or 22. Half of them sent this Memorandum to the Chief Election Commissioner. It was not sent by any political party, it was from IAS officers. They said that it is not possible to hold any election in Tripura because of continuing violence and ruling party is also associating itself in the violence. But it was not paid any heed to by the Chief Election Commis-

sioner. Then, Sir, violence continued unabated. We from our party and from the left Parties including BJP--because BJP also fielded its candidate in Tripura--represented to the Chief Election Commissioner that unless violence is checked, it is not possible to hold free and fair elections in Tripura. But violence continued unabated and nothing happened. After the assassination of Shri Rajiv Gandhi, from the morning 22nd May onwards wide-spread carnage started taking place in Tripura. Village after village was burnt down. Party offices were looted and burnt down. Sir, even the BJP party office was not spared; that was also looted and burnt. The BJP candidates were also not spared because they were in the opposition. Sir, one editor of a newspaper, a leading newspaper in Tripura, who was a Congress candidate was also not spared. His press was attacked. He himself was attacked. He represented to the Chief Election Commissioner. We also represented. But not a single word came out from the Chief Election Commissioner in regard to the violence in Tripura that it should be halted and that free and fair elections should be held in Tripura. Ultimately, when we met him, he did not agree to any point. On several occasions while meeting him, the manner in which he talked to MPs, the aggressive and dictatorial attitude he showed to the MPs and discourteous attitude he showed to the MPs is shocking and it has never happened with any Chief Election Commissioner in our country in the past. But this time it happened. We demand the postponement of elections in Tripura but he did not do that. Sir, the Chief Election Commissioner is on record saing nobody in the country will be allowed to come to Parliament unlawfully. But two persons who have been declared elected from Tripura, are they lawfully elected? Where are the elections in Tripura? This is all a farce. Two persons have come to Lok Sabha and one of them has become a Minister This is how the Chief Election Commissioner has shown his inmpartiality. Sir, his * was very much clear not only in Tripura but in West Bengal and Bihar also. What will happen to Patna and Monghyr where the elections have been countermanded? It is not yet clear. Proper reasons have not been shown. It is another indifferent attitude of the present Election Cimmissioner that he does not show any reason for this action. He says that he has considered the advice and he has done it. In this way, Sir, in Bihar, Uttar Pradesh and other places he behaved in a tyrannical manner. Sir, I feel that the manner in which the Chief Election Commissioner has behaved, deserves utter condemnation and we have to think whether the electoral laws are sufficient for holding free and fair elections in our country and guaranteeing impartiality of the Chief Election Commissioner.

I would like to say that before this Government came to power, even before the V. P Singh Government, when there was Congress Government, several meetings were held by the Government with all the opposition parties and talks were held for bringing about reforms in the electoral laws. We also gave our suggestions. But no suggestions and similarly other political parties also gave their suggestions. But no suggestions were acted upon. Even the manner in which the Chief Election Commissioner was appointed was not decided as was suggested. Our demand was for a multi-member Commission, and that was not done. It was done only in 1989 before the elections and two members were added to the Commission perhaps because the Government did not like the then Chief Election Commissioner and, therefore, two other persons were inducted as second and third member of the Election Commission. We feel that laws should be changed in such a manner that impartiality of the Chief Election Commissioner should be guaranteed and it should be an impartial and fair multi-party Commission so that the scope of committing a mischief on behalf of the Chief Election Commissioner is minimised. Otherwise the manner in which it has been done, has never been witnessed in our country. It acted in a partisan way and as if he is bent upon giving ... (*Interruptions*) ...

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: If I may rise on a point of order. Sir, there is a procedure

*Expunged as ordered by the Chair.

motion of impeachment against the Election Commissioner.

SHRI SUKOMAL SEN: It is not a question of impeachment....

SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM: Otherwise if you are not interested in moving a motion of impeachment as per the law, then it is not fair to make allegations which are personal in nature and which he cannot defend. The Chief Election Commissioner happens to have a Constitutional status.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Let us not be personal about it. I fully agree that personal attacks should not be allowed.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Yes, because he cannot defend himself here. That is absolutely right.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: And besides, it is a Constitutional authority and there should be some decorum in the House.

SHRI SUKOMAL SEN: Through you, Sir, I would like to ask a question to the hon. Minister. The Chief Election Commissioner is a high Constitutional authority and the incumbent has the responsibility to maintain fairness and dignity of that position. Now, if an incumbent mars the position and he himself violates the authority, what will happen. There is a procedure....

SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM: Then follow it. Let us make one thing clear. Either we follow certain decorum, principles and procedure or we don't. We cannot have the cake and eat it too. If you want to make personal allegations against the individuals, you must take action according to the procedure laid down. I cannot stand up and say that I on behalf of so and so wish to say this. I can talk as Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sen, you must keep this in mind. He cannot defend himself here.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: There is also a provision in the Representation of People Act that if any government servant or Constitutional authority violates the law, he can be prosecuted. But he can be prosecuted by the Government and not by anybody else. As a High Court Judge, Sir, you know the law. There is a provision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not a question of prosecution. The objection is that you are making allegations against a person who has no opportunity to defend himself. That is absolutely correct.

SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM: I would like to make it clear that there is a procedure whereby the Chief Election Commissioner can be moved against and proceeded against, and that is by impeachment. We have no authority as Government to remove him in that manner. Impeachment has to be done.

Regarding his appointment and the Constitutional amendments etc. when my turn comes, I shall reply. I have done it in the other House. My only request is, let not the speeches be directed against the individual.

SHRI SUKOMAL SEN: I did not speak anything. I only want reform in the electoral laws.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no motion for impeachment. You need not ask him. You can object to his criticism.

SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM: I did it. Let me not be misunderstood. Let me make it clear. If they want to raise individual allegations against Constitutional authorities, there should be a proper forum.

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): There is no question of an allegation. Can we not criticise him?

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): I have heard the Minister of State for Law. There is no Resolution for impe-

chment of the Chief Election Commissioner. Still, there is a substantive motion. We are discussing about the conduct of elections.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What do you want to say on the point of order?

SHRI DIPEN GHOSH: Holding and postponment of elections are part of the conduct of elections. On a substantive motion about the postponment of elections, when a Member is allowed to speak, he can critticise the Commission too.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Criticism of the public office?

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: I have no objection to the criticism of the Commission as such.

SHRI DIPEN GHOSH: The whole question is about the postponment of elections. Who postponed it? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I have identified Shri Mahajan. Let us hear him.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: As I said earlier, allegation is a different thing. If you criticise the action of the Chief Election Commissioner....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have already said about it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: If the decision of the Chief Election Commissioner or the Commission has been declared as incorrect or not justified etc., we cannot have any objection to it. But what was said was that he acted as an agent of the Congress(I) and in order to cover up that impression, he also did something in Andhra. That kind of an allegation cannot be made in the House about Constitutional authorities.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): But nobody has said that.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): It is a very serious matter. A fair comment can always be made by a Member though there cannot be a personal allegation.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): When the question of the Chief Election Commissioner was reffered to, in this House yesterday, some remarks were made. Then, the ruling was given by the Chair that there cannot be any aspersions on the Chief Election Commissioner. As there is already the ruling, let him confine his speech to that.

SHRI DIPEN GHOSH: The election was postponed in an irregular and unauthorised way. It was not the right way. Who postponed the elections ... (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: Then, you bring a substantive motion.

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: I am obliged to the hon. Member Shri Dipen Ghosh for giving me an opportunity to have my say. May I make one thing clear? If they are talking about the Election Commission *'per se'* without talking about the Commissioner individually, then, the criticism is justifiable to a certain extent from their point of view. I can defend it. I would defend it at the appropriate time. But Mr. Vice-Chairman, Sir the point is, if you are taking the name of an individual if you are talking about a particular individual who happens to be the Chief Election Commissioner, and calling him a handmaid of somebody, or, allege that he was acting in some particular manner, or, allege that he was acting in a manner which was improper, I think, a substantive motion is required. Sir, please look at the Resolution. What does it say? The Resolution does not in any way, indicate that the Chief Election Commissioner is involved. It says here: "... elections in some constituencies were countermanded and elections to the Lok Sabha and the State Assembly in the State of Punjab were abruptly deferred...."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We cannot go strictly by the wording in the Resolution.

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Sir, we have to go strictly by the wording. If you are going to make any allegation which is personal, in a way, to the office of the Chief Election Commissioner....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That would not be admitted.

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: This is what has been going on for quite some time here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sen, you must keep in mind that there should be no personal allegations. (*Interruptions*). Please do not make any personal allegations. But you can talk about the public authority as such. (*Interruptions*).

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I am not making any personal allegations. But I would like to remind the Congress Party, the treasury benches, about what they did earlier in regard to another Constitutional authority. They abused the C&A.G. on the floor of the House. They are forgetting it. We know how they abused the C&A.G. We know what filthy language was used against the C&A.G. He was also a Constitutional authority. Have they forgotten it? Anyway, that is not the issue here.

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Don't forget that he stood on some Party ticket.

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you defending the B.J.P., Mr. Sen? (*Interruptions*).

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I am concluding...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sen, please understand. You should not make any personal allegations which cannot be defended.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): He is concluding his allegations.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That will relieve me. (*Interruptions*).

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, the point I am making is, most of the parties have a grievance, a serious grievance, against the Election Commission in regard to the manner in which the elections were conducted, the manner in which the elections were postponed, the manner in which elections in some constituencies were countermanded, the manner in which repolling was ordered, etc. Then, there was the question of sending the observers and we have seen the manner in which the reports of the observers and returning officers were treated. (*Interruptions*) Various complaints are there against the Election Commission. They have behaved in a partisan and tyrannical manner, the Election Commission.

DR. BAPU KALDATE: No personal allegations.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): They are impersonal but permissible allegations.

SHRI DIPEN GHOSH: 'er' to be deleted.

SHRI SUKOMAL SEN: The way in which the elections were conducted has led me to think that there are some lacunae in the electoral laws which do not impart impartiality to the Election Commission. That is why I appeal to the Government. They should convene a meeting of all political parties. We have already submitted our viewpoints on electoral reforms. But they have been consigned to the shelf. They have been ignored. These have to be revived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no quarrel on that.

SHRI SUKOMAL SEN: In consultation with all the political parties, the electoral laws have to be amended so that the impartiality of the Election Commission is ensured, free and fair elections are guaranteed in the country and there is no partisan and tyrannical attitude on the part of the Election Commission. This is all I wanted to say on the last part of the Resolution and I support the Resolution.

डा० रत्नाकर पांडेय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के विद्वान सांसद पारंगत भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चात् आम चुनावों के स्थगित कर दिए जाने, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द कर दिए जाने और पंजाब राज्य में लोक सभा और राज्य विधान सभा के चुनाव अचानक स्थगित कर दिए जाने के, जिससे कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बहाल किए जाने को गंभीर क्षति पहुंची है, तरीके को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह वर्तमान चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए तरन्त एक विधान लाए । वस्तुतः जनतंत्र में जनता की भागीदारी होती है और एक ही वोट देने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी है और सड़क पर झाड़ू लगाने वाले एक अदने आदमी को भी है। लोकशाही, जनतंत्र, समाजवाद का मूल मकसद है कि शासन और सामाजिक उपलब्धि में और राष्ट्रीय अस्मिता का यश और भागीदारी सबको अपनी योग्यता के अनुरूप मिले और सब प्रतिनिधित्व कर सकें । हमारे भारत के संविधान का मूल लक्ष्य है अपनी योग्यता के अनुरूप सबको समान अवसर मिले विकास का और अपने विचार प्रकटीकरण का और उस सबके मूल में चुनाव है। माननीय जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं वह भी विचारणीय है । राजीव गांधी की हत्या हुई उस हत्या में बराबर राजीव गांधी इस सदन में जब कभी प्रधानमंत्री की उपस्थिति के दिनों में आते थे तो बराबर कहते थे कि सदन में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो विदेशों में घूमकर के खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं और उसे जायज ठहरा रहे हैं। जब लोंगोवाल का समझौता हुआ, पेक्ट हुआ, राजीव गांधी-लोंगोवाल पेक्ट हुआ उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी ने उस समझौते का विरोध किया । अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद, शारीरिक शोषण, वासनाजन्य कार्यों का अड्डा यह विश्व का सर्वाधिक धार्मिक स्थल बन गया तो इंदिरा जी ने आपरेशन ब्लू स्टार किया उस समय भी उन्होंने विरोध किया। शुरू में वे आतंकवादियों से छिप कर के समझौता या सौदा करना चाहते थे । जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए तो बड़ी शान-शौकत से पंजाब गये और सादा वर्दी में इतने अंग रक्षक उनके साथ गये तब उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में सड़कों पर घूमूंगा । जब आतंकवादियों ने अलग निशान, अलग संविधान, अलग करंसी, अलग चुनाव चिन्ह.....

डा० रत्नाकर पांडेय : अलग राष्ट्र की मांग एक तरह से खालिस्तान के नाम पर की, तब लिगर करना, बातें करना, कमेटी बनाना जो उनकी आदत रही है वे उस पर आ गये और सत्यता सामने आ गयी। मैं जानता हूं कि वह दिन जब जगजीतसिंह चौहान पंजाब में कभी मंत्री होता था और लंदन में बैठकर पंजाब में आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है तथा विदेशी ताकतें वहां कोशिश कर रही हैं कि देश से पंजाब को अलग कर दिया जाए, पंजाब को खालिस्तान बना दिया जाए । हमारे ही दल के कुछ स्वनाम धन्य सांसद हैं– मैं अखबारों में लोकसभा का पढ़ रहा था– एक अभिनेता हैं उन्होंने कहा कि पंजाब को खालिस्तान नाम दे दें, नाम देने में क्या रखा है । नाम देने में वह सब कुछ रखा है जिसके लिए राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने बलिदान किया था । खालिस्तान नाम का अगर कोई संसद सदस्य समर्थन करता है तो चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो चाहे वह मेरे ही दल का हो, शासक दल का हो या किसी दल का हो उसके ऊपर कठोर अनुशासनहीनता की कार्यवाही होनी चाहिए, उसे दल से निकाल देना चाहिए तब जाकर इस देश में, पार्टी में और सरकार में

अनुशासन आयेगा नहीं तो नहीं आयेगा। खालिस्तान नाम दे दीजिए। कोई अभिनय है, कोई नौटंकी है, कोई फिल्म है कि खालिस्तान नाम दे दीजिएगा। वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन खालिस्तान के नाम पर जहां देश को बांटने की बात हो, जहां इंदिरा गांधी का बलिदान हुआ हो, जहां राजीव गांधी के प्राणों की आहुति ली गयी हो, उसे संसद में कहा जाए और उसे लोक सभा के रिकार्ड में रखा जाए इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात हमारे सर्वोच्च सदन के लिए नहीं हो सकती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You cannot refer to the proceedings of that House.

डा० रमाकर पांडेय : मैं हृदय की बात कर रहा था माननीय उपसभाध्यक्ष जी। आपने कहा इसलिए उस बात को छोड़कर मैं असली मुद्दे पर आना चाहता हूं श्री गांधी की हत्या हुई और जानी मानी साजिशों के तहत हुई। हमारे मित्र और भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, चले गये, बड़े लोग रहे थे चन्द्रशेखर और राजीव गांधी के बीच में और जिस दिन हमने बसेंट होना तय किया उस दिन पौने 11 बजे तक हमारे दफ्तर में हमारे दल के नेता के पास आते जाते रहे। वह दो कांस्टेबुलों का मामला नहीं था कि वे राजीव गांधी की कोठी और कांग्रेस दफ्तर में कुछ कर रहे थे, गृह मंत्री जी इस बात की जांच करें कि जैसलमेर हाउस में जो सी बी० आई. का विंग काम करता है, जब दो कांस्टेबुल पकड़े गये उस समय प्लानिंग चल रही थी। उसके पहले ही, सदन में मैं बताना चाहता हूं कि जगजीत सिंह चौहान जो लंदन में बैठा हुआ है उसके घर में प्लानिंग हुई कि राजीव गांधी और उसके परिवार को साफ कर दो। उसकी जानकारी जब मिली तो सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गयी। लेकिन मौत जब आती है तो वह अपने आप रास्ता तय कर लेती है। जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि : "लिट्टे" के लोगों का हाथ स्पष्ट है राजीव गांधी की मौत में, राजीव गांधी की हत्या में। वह तो है। वर्मा कमीशन भी राजीव गांधी की हत्या का स्पाट इन्वेस्टीगेशन कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उसके पीछे जो विदेशी ताकतें हैं जो अपने देश में पंचमांगी हैं जो जयचन्द और मीरजाफर पैदा हो गये हैं और थोड़े से लाभ के लिए माता का सौदा कर सकते हैं, भारत माता हमारी धरती है और उस धरती के सपूत 85 करोड़ के बेटे राजीव गांधी के जीवन का सौदा कर सकते हैं तो उनके इन्वेस्टीगेशन के लिए क्या हमारी सरकार-अगर बोफार्स की जांच के लिए, हमारी सरकार थी। और उसने संयुक्त संसदीय जांच समिति की स्थापना की। तो क्या गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी घोषणा करेंगे कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे जो मोटिवेशन था, जो विदेशी ताकतें इनवाल्वड थीं, सब का इन्वेस्टीगेशन जो कुछ है, वर्तमान कमीशन कर रहा है? उसकी रोज रिपोर्ट छप रही है। जब गृह मंत्री से पूछा जाता है, तो वह कहते हैं कि कहीं से लीकेज अखबारों को है। इसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी की हत्या... (व्यवधान) मैं सबजक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूं।

डा० बापू कालदाते : नहीं अंदर हैं। यह कहने के बजाय, वह सबजेक्ट पर नहीं जा सकते।

डा० रमाकर पांडेय : तो इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, मालवीय जी के इस संकल्प के तहत, कि एक संयुक्त संसदीय दल इस बात की जांच करे, सर्वदलीय दल, जिसमें बीस लोक सभा के सदस्य हों और दस राज्य सभा के सदस्य हों कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे कौनसी ताकतें थीं, देश की और विदेश की, जिन्होंने इस काम को करने की प्रेरणा दी और इतना बड़ा जघन्य पाप इस धरती पर कराया कि भारत की अस्मिता, भारत की महिमा, भारत की अर्थ-व्यवस्था, भारत का सब कुछ, भारत की रोशनी, भारत की शान, भारत के सूर्य को मार डाला गया, उसे बलिदान कर दिया गया।

पंजाब में चुनाव की चीप पापुलैरिटी के तहत घोषित किया था, हल्की मानसिकता का द्योतक था पंजाब में चनाव, बिहार में जब माधोपुरा में अटैक हुआ राजीव गांधी पर और उनके बेटे पर, तो उस रात को इस सदन के सदस्य और मंत्री बन गये केसरी जी, इस समय यहां नहीं हैं, जब हम लोगों को पता लगा, तो राजीव गांधी के घर हम लोग गये वह कितना बड़ा आदमी था। जब लोगों ने पूछा कि क्या अटैक हुआ था ? तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तो कोई आक्रमण नहीं हुआ ? माधोपुरा में आडवाणी जी पर भी अटैक हुआ और अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं पर भी अटैक हुए। तो किसी ने कहा कि अटक तो हुआ था। आप इतने महान हैं कि उसको कहना नहीं चाहते। इस पर मस्करा कर राजीव गांधी अपने घर के भीतर चले गये।

जहां का मुख्य मंत्री इस बात की घोषणा करता हो कि कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस का जीत करके हमारे प्रदेश से चला जाएगा, तो एक तो चुना नहीं जाएगा, हमारे पास ताकत हैं, हमारे पास सरकार है, हमारे पास बाहुबल है, जनशक्ति है, धन-शक्ति है और माफिया शक्ति है। और अगर जीत भी गया... **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते : यह कब कहा, जरा कहिए। सदन में आप यह बात कह रहे हैं। आपको कहने का पूरा अधिकार है। इम्यूनिटी की हद तक है कहता हूठ। आपको इम्यूनिटी है, इसलिए आप कहें, लेकिन कहीं पढ़ा हो तो.. **(व्यवधान)** हां, वैसे ही बोलना हो, तो अलग बात है।

डा० रत्नाकर पांडेय : जिन दिनों चुनाव हो रहे थे, उन दिनों में देश के सारे अखबार रंगे हुए थे। मैं वचन देता हूं... **(व्यवधान)** माननीय सदस्य बापू कालदाते जी आज दलीय धरातल पर इन चीजों को मत लीजिए।

डा० बापू कालदाते : मैं नहीं ले रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके पास इसके बारे में कोई सबूत हो, तो वह मैं जानना चाहता हूं। वह मेरी जानकारी के लिए ठीक है।

डा० रत्नाकर पांडेय : जिन दिनों चुनाव हो रहे थे, उन दिनों की कटिंग्स हैं, आप चलिए मेरे साथ-वह कटिंग्स दो दिन के भीतर आपके पास पहुंच जायेगी।

डा० बापू कालदाते : रत्नाकर जी, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पांडेय : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि मिथ्या आरोप किसी पर न लगाऊं।

डा० बापू कालदाते : इसीलिए मैंने पूछा है।

डा० रत्नाकर पांडेय : सत्य बड़ा कटु होता है और कटु सत्य को सुनने के लिए हमारे माननीय सदस्य को तैयार रहना चाहिए।... **(व्यवधान)** वी०पी० सिंह के दल के हमारे मित्र इसके लिए भी खड़े हो गये **(व्यवधान)** ऐसे तो हमारे विरोधी दल के नेता भी खड़े हो जायेंगे।

डा० बापू कालदाते : हम कुछ नही कर रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पांडेय : आप हिंदी में बोलिए। आप हिंदी भी बोलते हैं। आप थोड़ा शुरू तो करिए।... **(व्यवधान)**

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us hear the point of order.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, my point of order is that in

this House no reflection can be cast on any Chief Minister, that no allegation can be levelled against any Chief Minister, whether true or wrong. Mr. Bapu Kaldate questioned the correctness of his statement. I am questioning the propriety of his statement, correct or incorrect, this cannot be made on the floor of the House. ...*(Interruptions)*...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं शिष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की है ...(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I want a ruling on this.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, I want to raise a point of order in this regard before you give your ruling. When the Chief Minister of Bihar made this statement I was very much in Bihar at that time.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Whether he has made a statement or not, the point here is no allegation can be levelled against a Chief Minister, no aspersions can be cast on a Chief Minister in this House... *(Interruptions)*...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: He did not uttar a single word against the Congress party. But he said "I will see that all the Janata Dal candidates are elected. Nobody from the BJP will be elected. Even if they are elected, they will not reach Delhi."

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हम वही चाहते हैं कि एक दफा बताइये, कहां है वह बयान, या आपके मन में जो आए आप उसे ...(व्यवधान) मैं आपकी दो दिन में अखबारों की कटिंग्स दे दूंगा। ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: He is referring to the booth capturing by Laloo Prasad Yadav. *(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, we will not allow this to go on record at all. ..*(Interruptions)*. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, you, have raised the point of order.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : जो ड्रामा कर रहे हैं सोने का, उसको तो कोई नहीं जगा सकता। आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। सारी अखबारों में छपा है। (व्यवधान)

डा० बापू कालदाते : आपको और हमको पर्सनली क्या मालूम है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको भी मालूम है, इससे क्या मतलब है। जो आप सदन में कह रहे हैं, उसका हमें सबूत दीजिए।.. (व्यवधान)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: To make such a statement by Mr. Bapu Kaldatt is also unwarranted. . . *(Interruptions)*. ..

डा० बापू कालदाते : अगर खड़ा होकर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तथा सब के बारे में कुछ कहूं तो क्या ठीक रहेगा।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You must restrict yourself to the rules of the House and also to the Resolution. If you are making an allegation aaginst the Chief Minister the cannot reply to it.. Therefore, you must avoid personal allegations. That is his point of order.

डा० बापू कालदाते : रत्नाकर जी, आप बाहर जाकर एक बयान दे दें, जो कुछ देना है। लेकिन यहां जरा कम से कम रुकिए।...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं मुख्य मंत्री का नाम लिए बिना ही कह रहा हूं। (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: No allegations can be levelled against the State Government or against the Chief Minister

because the conduct of the State Government cannot be discussed in this House... (*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER Mr. Reddy, you are adopting double standards.

SHRI V. NARAYANASAMY: We are referring to the elections in Bihar. ..(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Reddy, I do not think that you can widen the scope.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, you must give your ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us restrict to the subject.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Are we to take it for granted that references made by the Member to the Chief Minister of Bihar are to be expunged from the record or not?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If these are personal ones, I will look into it... (*Interruptions*)... I will take care of it.

SHRI S. JAIPAL REDDY: He is attributing certain statements to the Chief Minister which are not correct ... (*Interruptions*)...

DR. RATNAKAR PANDEY: Don't work against the Chief Minister of Bihar. You are a Member of this august House... (*Interruptions*) ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I have understood what you have said. I will look into the record.

डा० रत्नाकर पांडेय : और मैं उसे बता देना चाहता हूं।

डा० रत्नाकर पांडेय : आपकी हिन्दी बहुत मीठी है, बधाई है

डा० रत्नाकर पांडेय
"दो, वर्तमान को सत्य सहज,
सुन्दर भविष्य को सपने दो।
हिन्दी है भारत की बोली,
तो अपने आप पनपने दो।

रेड्डी साहब, बाहर आप हिन्दी में बात करते हैं, लेकिन यहां आप अंग्रेजी झाड़ते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please do not talk with Mr. Reddy.

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं हिन्दी में बात कर सकता हूं, लेकिन रत्नाकर पांडेय से काम्पीट नहीं कर सकता, यही प्राब्लम है।

डा० रत्नाकर पांडेय : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सब्जेक्ट पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और हम उसका समर्थन कर रहे थे। जशवन्त नगर से वह विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। इटावा, बुलन्दशहर और मेरठ में लोक सभा के और इनके तहत 15 विधान सभा के चुनाव स्थगित कराये गये क्यों? इसलिये कि गुंडागर्दी हुई उसे और विशेष शब्दों में कहा जाय तो आतंकवाद जो चुनाव में लोगों को धमकी देकर वोट न डालने को विवश करता है और जाली मतदान कराता है। पूर्णिया और पटना में चुनाव स्थगित हुये और जैसा लोग कहते हैं, अखबारों में छपा है कि कत्ले आम तक हुआ। दर्शन सिंह जशवन्त नगर में जो कैंडीडेट थे वह मारे गये। यह इस सदन में पहले भी उठा था कि दर्शन सिंह की जान को खतरा है मुख्य मंत्री द्वारा और हमारे मंत्री बलराम सिंह यादव जी हमारी और देख रहे थे। ये महीनों उस समय जेल में रहे। दर्शन सिंह इनका क्रिएशनथा पालिटिक्स में, उसकी हत्या की गयी। हम उस सरकार का समथन कर रहे थे और इसी कारण देश की जनता ने उत्तर प्रदेश में हम को बता दिया कि कांग्रेस किसी के सहारे नहीं चलती उत्तर प्रदेश और गुजरात में... (व्यवधान)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, Darshan Singh is very much alive. Please ask him not to declare him dead.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उपसभाध्यक्ष जी, दर्शन सिंह के लोगों की हत्या हुई और उस समय जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार में या देश के किसी हिस्से, में, वह शर्मनाक है और उसके लिये इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराया गया। जो हारता है, चाहे हम हारें या आप हारें, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करता है कि यहां गलत वोटिंग हुई, यहां ही वोटिंग हुई । यह गलत है और इसके लिये इलेक्शन कमीशन की आटोनोमी को चैलेंज नहीं करना चाहिये । उपसभाध्यक्ष जी, राजीव गांधी के जाने के बाद जो मन टूटा हुआ था। चाहे किसी दल का आदमी हो, जो जनतंत्र में विश्वास करता है, वह कोई भी यह नहीं चाहता कि हत्याएं हों लेकिन अपने स्वार्थों से प्रेरित लोग, अपने व्यक्तिगत लाभ से ग्रसित लोग यह कोशिश करते हैं कि हमारा भला हो। महोदय, चुनाव हुये आसाम में, कितनी जानें गयीं ? चुनाव की घोषणा हुई पंजाब में, कितनी जानें गयीं । यदि मैं इसके विस्तार में जाऊं तो बड़ी मुश्किल होगी । यदि 22 जून को पंजाब में चुनाव स्थगित न किये जाते तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या निष्पक्ष चुनाव होते और क्या मिलीटेंट्स फोर्स मतदान केन्द्रों पर कब्जा नहीं करते ? कितने प्रतिशत मतदाता सही वोट डालते ? विधान सभा किस स्वरूप में आती ? क्या वह आतंकवादियों की समर्थक होती या आतंकवादियों की विरोधी होती और क्या पंजाब देश से अलग नहीं हो जाता ? वह विधान सभा भारत की एकता की पक्षधर होती या उसको तोड़ने वाली होती ? पंजाब में किस-किस की सरकार बनती और इसका तात्कालिक परिणाम क्या निकलता यह विधानसभा कब तक चलती और चुनाव के अंतिम क्षणों में...

4 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पांडेय जी, आपका टाइम हो गया।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह स्थगित न किया जाता तो क्या होता इस देश में? यह कहा नहीं जा सकता । चन्द्रशेखर जी ने समस्यायें पैदा करके अपने शासन को और बढ़ाने की कोशिश की पंजाब में चुनाव कराकर के ।

डा० ए० कालसाते : आपने उनको मदद करके कई दिनों तक चलाया ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वह मदद करके जो कुछ हो गया, राजीव गांधी ही नहीं रहे हमारे और उसमें मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो या चन्द्र शेखर जी की सरकार हो, आज जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो कब्र में गड़े हुये लोग आज वक्तव्य दे रहे हैं कि कांग्रेस में एकता होनी चाहिये । विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीभ में भी पानी आ रहा है कि सारे कांग्रेस जनों को एक होना चाहिये। हमारे चन्द्रशेखर जी का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया है, चार या पांच सदस्य संसद के लिये आये हैं। मैं बराबर इस सदन में कहता था..... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : यह क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What can I do?

श्री यशवन्त सिन्हा : : नहीं-नहीं । चन्द्र शेखर जी को एक व्यक्ति के रूप में यह बोल सकते हैं इस हाउस में ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : पोलिटिकल वजूद, माननीय सिन्हा जी और शिष्ट शब्दों में कह रहा हूं । सुनिये ।

श्री यशवन्त सिन्हा : आप शिष्ट शब्द कितना भी कहो, वह अशिष्ट ही रहेगा अगर बात अशिष्ट है तो ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं यह कहा रहा हूं कि चन्द्रशेखर जी के, चुने हुये चार या पांच सांसद उनकी पार्टी के लोक सभा में आये हैं । इस देश की जनता को संख्या याद भी नहीं है । दस भी नहीं है । दोनों अंगुलियों पर गिने जाने भर

भी नहीं हैं और उनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया था । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रायश्चित करिये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : प्रायश्चित कर रहे हैं, मैं खुले आम कहना चाहता हूं । (व्यवधान)..... हमारे जैसे लोग कांग्रेस में है और निर्भीक होकर बात करते हैं । आपकी तरह गुजरात में समर्थन दिया, उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया, हर जगह और उसका फल जनता ने हमें दे दिया । कांग्रेस के लोग जब भी गलतियां करते हैं तो देश के सामने खुले आम अपनी गलतियों का इजहार करते हैं । हम कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहियें । राजीव गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुये हैं, उस चुनाव में पंजाब का चुनाव तथा दूसरी समस्याएं देश में उत्पन्न करके अपने को प्रधानमंत्री बनाये रखने के लिये चन्द्रशेखर जी ने किया था । पंजाब में चुनाव की घोषणा की थी और चुनाव कराने का वायदा किया था । उसे उन्हें ही स्थगित करना चाहिये था ।

मान्यवर, जब एक केअर-टेकर गवर्नमेंट सोना उठाकर बेच देती है टनों सोना, जिसको कोई अधिकार नहीं है और एक केअर-टेकर गवर्नमेंट चुनाव करने लगती है पंजाब में, जहां कि खून के प्यासे लोग हैं..... (व्यवधान).....

श्री यशवन्त सिन्हा : अभी भी शर्म नहीं आ रही है इस बात को बोलने में, 46–47–48–50 टन सोना बेचने के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही है । अरे, अपने गिरेहबान में झांकिये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जो पाप आपने किया है । मैं कहना चाहता हूं कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जितना बड़ा लैंड स्कैंडल किया है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उतना भारत के जनतंत्र के इतिहास में किसी ने नहीं किया है । जुबान मत खुलवाइये । इस सब की जांच होनी चाहिये ।

श्री यशवन्त सिन्हा आप जुबान खोलिये नोटिस देकर जुबान खोलिये । इस तरह गैर-जिम्मेदाराना बात मत कीजिये । आप नोटिस देकर जुबान खोलिये तो हम लोग भी जवाब देंगे । (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय अनेक स्थानों पर आपने उत्तर प्रदेश में देवस्थली नाम का बलिया में किया सब-ट्रस्ट बनाकर के ।

श्री संघप्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, यह विषय पर चर्चा नहीं हो रही । सदन का समय नष्ट हो रहा है । आप इनको रोकिये ।

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल (महाराष्ट्र): ऐसे **लोगों को बोलने क्यों देते हैं ज्यादा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) रत्नाकर जी, आप सबजेक्ट के ऊपर बोलिये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय असंसदीय लोगों को सदन में आने के पहले भाषा क्या बोलनी चाहिये आदि का ज्ञान होना चाहिये ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने कहा प्रायश्चित करेंगे । क्या यह प्रायश्चित करने का तरीका है ?.. (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The reference to these allegations will not go on record. (*Interruptions*).

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar PRADESH): Sir, can any hon. Member call another hon. Member a ** man? (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN: That is also not going on record. That word will not go on record. Let us not discuss it.

डा. रत्नाकर पाण्डेय इस सदन में आने के पहले, पता नहीं माननीय सदस्य किस दल के हैं उस दल के नेता से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने सदस्य को प्रशिक्षित करें कि क्या भाषा बोलनी चाहिये सदन में । (व्यवधान)

**Not Recorded.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं कहना चाहता हूं कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पाण्डेय जी, खत्म कीजिए। प्लीज कलोज इट।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मतदान में किस तरह से गुण्डई बंद हो, किस तरह से धन-शक्ति का दुरुपयोग न हो, किस तरह से जन-शक्ति का दुरुपयोग न हो, किस तरह से बाहु-शक्ति का दुरुपयोग न हो और किस तरह से ऐसे लोग जो आतंक मचाए हुए हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया विश्व हिन्द परिषद् ने मंदिर निर्माण के नाम पर प्राप्त किया और सारा पैसा, जितने पुलिस के अधिकारी, हैं, जितने सेना के रिटायर्ड लोग हैं बी०जे०पी० ने उनको टिकट दिया और वे चुनाव लड़े०और०बहुत लेविश्ली धन-शक्ति का भौंडा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। बी जे पी; पार्टी बनी आडवाणी जी के नेतृत्व में और दुनिया भर के वे तत्व, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, चन्दा दिए और उस चन्दे का दुरुपयोग साम्प्रदायिकता की आग भड़कने के लिए इस देश में किया गया और उसमें ऐसे तत्व ,जो कभी ब्यूरोक्रेट्स थे, सरकारी नौकर थे, रिटायर होने के बाद उनको संसद में और विधान सभाओं में लाया गया। करना क्या चाहते हैं ? बोफोर्स पर आरोप लगाने वाले आडिटर जनरल, टी एन० चतुर्वेदी, हमारे बनारस में दीक्षित, एस०एस०पी० थे, फिर डी०आई०जी० हुए, ऐसे लोग और मैं दर्जनों ऐसे नाम गिना सकता हूं, लिए गए और इस देश में विदेशी धन का दुरुपयोग राम मंदिर के निर्माण के नाम पर हुआ। तो जब तक साम्प्रदायिक ताकतों से भरी हुई, चाहे वह बजरंग दल हो, चाहे वह विश्व हिन्द परिषद हो, चाहे आर०एस एस० हो, चाहे बी०जे०पी हो, चाहे मुसलमानों के संगठन हों—दर्जनों संगठन हैं मुसलमानों के जो अरब डालर कंट्रीज के प्रति लॉयल हैं और वहां से पैसा आता है और वे अलग एक छोटा सा दायरा बनाए हुए हैं—और मैं इस सदन में 5 साल से लगातार कह रहा हूं, कोई गवर्नमेंट हो कि इनके बैन करो, लेकिन कोई बैन करने के लिए तैयार नहीं है और यह तब तक बैन नहीं होगा जब तक हम सभी अपनी आत्मा में झांककर नहीं देखेंगे कि हमारी वाणी में कुछ है। किसी व्यक्ति का नाम आता है वह आतंकवादी है, खूंखार है, बाहुबल के दम से पोलिंग बूथ पर कब्जा करता है, तो आप खड़े हो जाते हैं और देश का नेता भी बनना चाहते हैं। पीठ पर छुरा घोंपकर के प्रधान मंत्री बनने वाले और ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं था, बल्कि नेगोसिएशन करके सत्ता में आ जाने वाले लोग, इनकी भी एक चरित्र-पंजिका बननी चाहिए थी और इनका पूरा कार्यकलाप देखा जाना चाहिए था।

मैं इस विश्वास का हूं कि हमने पंजाब के चुनाव का बायकाट किया था, कि हम मानते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान के उग्रवादी तत्व, विदेशी तत्व और ऐसे तत्व जो देश को तोड़कर के तहस-नहस करना चाहते हैं, माफिया किंग्स जो हैं दुनिया के, जो भारत को टुकडे-टुकड़े कर देना चाहते हैं ...(समय की घंटी)... वे तत्व अपना सर उठा चुके थे और जब तक वर्तमान सरकार, हमारी सरकार उन तत्वों को, मिलिटेंट फोर्सिस जो हैं—चाहे वे असम में हों, चाहे असम के सिस्टर्स स्टेट्स में हों, चाहे पंजाब में हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर, हों नक्सलवादी के नाम पर हों, उन सबमें दो तरह के लोग हैं। ...(व्यवधान) मैं एक-दो मिनट में अंत कर रहा हूं। एक तो ऐसे हैं जो जनतंत्र के नाम पर शोषण करते हैं—बड़े-बड़े जमींदारों की तरह आज भी किसी का पेट नहीं भरता और कहीं खालों में अन्न फैंका जाता है उच्च अट्टालिकाएं पड़ी हुई हैं और कहीं झोंपड़ी में आदमी जाड़े में कम्बल भी नहीं पाता है। यह जो विभेद और विभिषिका है, इसके कारण लोग नक्सलवादी, पंजाब के आतंकवादी और कश्मीर के अलगाववाद में विश्वास करने वाले लोग हो गए हैं। और उनमें बहुत थोड़े परसेंट के लोग हैं जो विदेशी ताक्तों को

अपनी आत्मा बेच चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तन कराने की कोशिश पिछली सरकारों ने भी की और अब हमारी सरकार भी आसाम में कर रही है । तो उसमें एक ढंग से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होना चाहिये । लेकिन जो सचमुच में ऐसे हैं और विदेशों के हाथ भारत माता की आत्मा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें लाईन में खड़ा कराकर के जैसे अरब कंट्रीज में है कि कोई चोरी करता हुआ पाया जाये, कोई सैक्सुअल करप्शन करता हुआ पाया जाये तो उसका हाथ वह काट लेते हैं, उस तरह का कठिन कानून बनाना होगा और सब को सर्वसम्मति से उसको पास करना होगा और तब जाकर के इस देश में जो जनतंत्र की जड़ें पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी, महात्मा गांधी ने रखी थी, जिसके लिये बलिदान दिया था और आज भी बलिदान दिये जा रहे हैं वह सफल होगा और चुनावों में जो सुधार की आवश्यकता है उन सुधारों को हम करके दिखायेंगे और राजीव गांधी के बलिदान के बाद कांग्रेस का शासन चुनावों में जो हत्या, फरेब, जो जालसाजी, जो जबरदस्ती, जो वोट न डालने देने की प्रक्रिया का जबरदस्ती प्रयोग हुआ है वह सब को बंद करके जनतंत्र की बहाली करेगी और हर व्यक्ति मतदान कर सकेगा और 100 प्रतिशत मतदान करके जनतंत्र को जिंदा रख सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं मालवीय जी के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

डा० बापू कालदाते : जीभ और हाथ काटकर लोकतंत्र की रक्षा करने का उनका आदेश है हम लोगों को ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Pramod Mahajan. (Interruptions). . .Please. Let us hear Shri Pramod Mahajan.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जो विदेशी ताकतों के हाथ अपने को बेच चुके हैं, उन लोगों के लिये है ।

डा० बापू कालदाते : अच्छा, हमारे लिए नहीं है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप लोगों के लिये नहीं, सारे देश के लिये कहा है ।

श्री प्रमोद महाजन : उपसभाध्यक्ष जी, श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी द्वारा उपस्थित संकल्प का मैं हृदय से समर्थन करता हूं । दो दिन पूर्व इस सदन में प्रश्नोत्तर काल के दौरान हमने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र बाहर आने की चर्चा की और सारा सदन इससे चिंतित था कि अगर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के प्रश्न भी बाहर मिलने लगें और अगर इस प्रकार हमारे अधिकारी नियुक्त होने लगे, तो इस देश की नौकरशाही का क्या होगा ? उस समय मेरे मन में इतना ही विचार आया कि जिस प्रकार मत पत्रिकायें, उसके डिब्बे खुले आम बाहर मिल सकते है, तो हम लोग जो अधिकारियों के दर्जे के बारे में काफी चिंतित हैं, क्या हम सब को शासन करने वाले राजनेताओं के संबंध में चिंतित होना चाहिये और इसलिये मैं मानता हूं कि सारे देश की, सदन की, राजनेताओं की, दलों की, जनता की यह चिन्ता होनी चाहिये कि सबसे बेहतरीन नेतृत्व चनाव प्रक्रिया से ऊपर आये और इसलिये मेरे इस भाषण में मेरा यह प्रयास होगा । हम पर किये गये आरोपों का उत्तर मैं दे सकता हूं, जिस तर्ज पर किये गये, मैं उस तर्ज पर भी दे सकता हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता क्योंकि इससे मैं मुख्य रूप से विषय से दूर चले जायेंगे हम अपने आपको गौरव से विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक गणराज्य कहते हैं, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है । चूंकि लोक तन्त्र के रूप में दुनियां का सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा देश है और यहां लोकतन्त्र व गणतन्त्र नाम की कोई टूटी-फूटी व्यवस्था है, । केवल इसके आधार पर हम कहते हैं कि हम दुनियां के सबसे बड़े लोकतन्त्र हैं । लेकिन अगर कोई इसका खोखलापन अन्दर से देखने का प्रयास करे, तो दुनियां का सबसे बड़ा लोकतन्त्र केवल मतदाताओं की संख्या पर निर्भर नहीं होता । हर पांच साल या

आजकल हर दो साल बाद केवल चुनाव करा देने से हमारा देश दुनियां का सबसे बड़ा लोकतन्त्र नहीं बनता। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र तो तब बनेंगे, जब हम इस देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव की आदर्श व्यवस्था का हम निर्माण करेंगे। आज हिन्दुस्तान में हम सबने मिलकर यह स्थिति पैदा कर दी है कि 55–60 प्रतिशत लोग मतदान के लिये नहीं आना चाहते। मैं इसके लिये किसी एक दल को कम या ज्यादा दोष नहीं देना नहीं चाहता हूं।

महोदय, मैं कभी-कभी सोचता हूं कि 84 करोड़ के इस देश में 50 प्रतिशत लोग मतदाता हैं। उनमें से 40 प्रतिशत लोग मतदान के लिए आते हैं। जो 40 प्रतिशत लोग मतदान के लिए आते हैं उनमें से 40 प्रतिशत जिनको मिलता है वे देश की सत्ता चलाते हैं। अगर पूरे अर्थ में देखा जाए, मैं किसी एक या दूसरे दल की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो दल हिन्दुस्तान में सत्ता में आता है शायद उसे 10 प्रतिशत लोगों का भी सीधा समर्थन प्राप्त नहीं है। हम अपने आपको बहुमत की सरकार कहें या अल्पमत की कहें, इसका समर्थन हो या उसका समर्थन हो लेकिन यह तथ्य है कि हमारी सरकारें जो आ रहीं हैं उनको 10–15 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का समर्थन नहीं मिलता है।

महोदय, मेरा विचार है कि अगर इस स्थिति को बदलना है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य का आधार है, कराने होंगे और यह इस संकल्प की आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्य से हर चुनाव में हमारा स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं और हम सभी इसके लिए दोषी हैं। मैं नहीं समझता कि कोई दल शत-प्रतिशत अपने को इस दोष से मुक्त पाता होगा ... (व्यवधान)

महोदय, मैं कह रहा था कि दुर्भाग्य से हर चुनाव में स्तर नीचे गिरता जा रहा है। पहले हम कभी-कभार सुन लेते थे कि 10–20 ज्यादा वोट डाले गए हैं यानी मरे हुए लोग जीवित हुए हैं लेकिन अब केवल जाली मतदान तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब हम मतदान केन्द्रों पर कब्जे की बात सुनते हैं। अब हम मतगणना केन्द्र पर भी कब्जे की बात सुनते हैं। कभी-कभार तो हम यह भी सुनते हैं कि चुनाव करने वाले लोग मत एक को देते हैं और चुनकर दूसरा आ जाता है। अब तो हम इससे भी आगे जाकर चुनाव आयोग पर कब्जे की चर्चा करने लगे हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे इन 10 लोकसभा के चुनावों में हम जाली मत डालने से लेकर चुनाव आयोग पर कब्जे की चर्चा तक पहुंच गए हैं। अब यह स्थिति किस प्रकार आई, इसका विश्लेषण दलगत भावना से ऊपर उठकर करना होगा।

महोदय, राजीव जी की हत्या हुई जिससे सारे देश को सदमा पहुंचा और जब 21 मई की रात को हत्या हो तो 23 मई की सुबह इस देश में चुनाव नहीं हो सकता। यह बात सब समझ सकते हैं। राजीव जी जिस स्तर के नेता थे, इतने बड़े स्तर के नेता की इतनी दुःखद हत्या होने के बाद डेढ़ दिन में चुनाव नहीं हो सकते, यह बात सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए चुनाव को आगे करना, यह आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन अगर वह चुनाव टाला जाता 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन तो उस चुनाव के बारे में सबकी राय मांगी जा सकती थी। जरूरी नहीं था सबकी एक राय होती। लेकिन कम से कम लोगों को पूछा जाता कि चुनाव कराना कब ठीक होगा। चुनाव कब कराने से किसको फायदा होता या हुआ, इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। अगर आप देखेंगे कि किसी को लाभ हुआ हो या किसी को नुकसान हुआ हो तो उससे दुर्घटना का दुख कम नहीं होता। लेकिन चुनाव आयोग कह सकता था कि 23 का चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने तिथि किससे पूछकर निश्चित की ? परिस्थिति चुनाव की थी या नहीं इसके कारण केवल चुनाव नहीं टाला गया है। जैसे पंजाब की बात है।

पंजाब में चुनाव का विरोध हमने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी किया था और ये तीन दल पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण दल थे। जब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट तीनों ने चुनाव का विरोध किया तो इस चुनाव को करवाना है या नहीं करवाना है, इस पर 10 बार चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था। जब चुनाव की घोषणा हो गई थी तो फिर उस घोषणा को वापस क्यों लिया गया? फिर चुनाव करवाते। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और हमारी आपत्तियों के बावजूद भी चुनाव लेने का उन्होंने निर्णय किया था, लेकिन मंत्री परिषद् का गठन इधर होता है और उधर चुनाव रद्द हो जाता है। पंजाब की जनता क्या सोचेगी? कभी चुनाव आयोग ने इस पर सोचा कि पंजाब का मतदाता जो कल मतदान देने जा रहा है, वह चुनाव अगर आपने 25 या 30 घंटे पहले स्थगित कर दिया तो पहले ही दिल्ली के संबंध में उनके मन में जो आशकाएं हैं उनको बढ़ाने का ही काम आपने किया। इसके पीछे कौन दोषी था, मझे पता नहीं।.. (व्यवधान) चूंकि मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, इसलिए हिन्दी में कमिश्नर और कमीशन में कोई ऐरर नहीं कर रहा हूं। आखिर चुनाव आयोग के निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया थी? चुनाव करवाने का जितना निर्णय गलत था उससे ज्यादा चुनाव को रद्द करने का निर्णय था। क्या यह सत्तारूढ़ दल के इशारे पर होता रहा? पहले कोई सत्तारूढ दल था, वह चुनाव चाहता था इसलिए चुनाव की घोषणा हुई और फिर दूसरा सत्तारूढ दल चुनाव नहीं चाहता था, इसलिए चुनाव रद्द हुआ? कल को तीसरा दल आयेगा वह चाहेगा तो चुनाव फिर होगा। अगर चुनाव आयोग इस प्रकार से करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वर्तमान चुनाव आयोग ने अपने पद की गरिमा को जिस प्रकार से नष्ट किया है, उस सदन की पवित्रता को जिस प्रकार से समाप्त किया है, आज तक चुनाव आयोग के संबंध में यह कहने की नौबत कभी नहीं आई। यह कहने में या मैं किसी संस्था पर आरोप लगाने में कोई आनन्द नहीं ले रहा हूं क्योंकि यही संस्था है जिसके आधार पर हम देश में चुनाव कराते हैं, कराना चाहते हैं। अगर हम चुनाव करवाने हैं तो उसमें उनके निर्णय परिस्थितियों से नहीं व्यक्तियों से जुड़ते जाएं सत्तारूढ़ दल के इशारों पर होते चले जाएं तो मुझे लगता है कि हम इस तरह के चुनाव आयोग को बदल सकते हैं लेकिन हम यह ताकत कहां से लाएंगे जो किसी चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ दल की ओर, नार्थ और साउथ ब्लाक की ओर देखने की आवश्यकता न पड़े। यह समझने की ताकत उसे कहां से दें? इसलिए उस स्तर से ऊपर उठकर आयोग को इस पर विचार करना चाहिए।

मुझे लगता है कि चुनाव में सुधार होने चाहिए, इसमें दो रायें नहीं हैं। वर्षों से हम इसकी चर्चा करते आए हैं। इस ओर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। इसका हम सबको खेद है। पता नहीं उसका क्या कारण था। 61 मुद्दे उसमें थे जिनमें से 22 मुद्दे विदेशी नीति पर थे। उसमें एकाध मुद्दा इसका भी जोड़ देते तो गलत बात नहीं होती। मैं यही कह रहा हूं कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार किस लिए चाहिए। कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए चाहिए। क्या है बीमारी? एक तो जाली वोट डालना, दूसरी मतदान केन्द्र पर कब्जा करना और तीसरी मतगणना केन्द्र पर कब्जा करना। इन बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छी कानून और व्यवस्था लाना इस बात के लिए एक अच्छा रूप होगा। क्योंकि चुनाव कराने वाले हम सभी हैं। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न दलों के मुख्य मंत्री हैं। मैं किस पर आरोप कर सकता हूं। लेकिन आज देश में यह स्थिति आई है कि हर दल के पास कहीं न कहीं मुख्य मंत्री हैं। हर दल यह आरोप लगा रहा है कि उसके मुख्य मंत्री ने अपने स्थान का दुरुपयोग किया है। इसलिए मुझे लगता है अच्छी कानून-व्यवस्था बनाना एक रास्ता है। इसका एक रास्ता यह भी हो सकता है कि ऐसे जाली मतदान को रोकने के लिए हम हिन्दुस्तान में हर मतदाता को एक चित्र सहित परिचय पत्र दे सकते हैं। अगर एक चित्र सहित परिचय पत्र आ गया तो जाली

मतदान काफी हद तक रुक सकता है। हां कोई कह सकता है कि झूठे परिचय पत्र भी बन जायेंगे। आखिर जब कोई कानून बनाते हैं तो उसमें से कोई न कोई रास्ता ढूढने की कोशिश की जाती है और उसको रोकने का विचार हमको करना पड़ेगा यह बात अपने आप में अलग है। लेकिन एक छायाचित्र परिचय पत्र देने का प्रयास करें इससे जाली वोट डालने की संख्या में कमी आ सकती है। सौभाग्य से कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय या कांग्रेस को कोई बड़ा सुधार करना है तो वह बाद में करे लेकिन कम से कम जो छोटे सुधार हैं और अच्छे हैं वह तुरन्त करे। यह अच्छी बात है कि हम चुनाव के तुरन्त बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं, चुनाव के समय नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त यह बात उठ सकती थी कि फोटो कहां से आयेगी आइडेंटीटी कार्ड कहा से देंगे। अभी से यह समय है। मुझे लगता है जाली वोट को रोकने के लिए अगर हम छायाचित्र सहित परिचय पत्र देने का काम करें तो उपयुक्त होगा।

दूसरी बात होती है मतदान केन्द्र पर कब्जा करना और मतपत्र की काउंटिंग में गड़बड़ी करना। इसके लिए दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। इलैक्ट्रोनिक्स मशीनें आई हुई हैं। हम अमेरिका में चुनाव देखते हैं तो पश्चिमी अमेरिका में लोग मतदान करते रहते हैं और खत्म होते ही काउंटिंग एकदम होकर उसका निर्णय आ जाता है। जो तीन घंटे का फासला होता है उसके अंदर पूरी काउंटिंग खत्म हो जाती है। हमारे यहां आप लोगों ने देखा होगा कि 18 तारीख गई, 19 तारीख गई, 20 तारीख गई, 48 घंटे हो गये, सौ घंटे हो गये फिर भी आपके सामने परिणाम नहीं आ रहे हैं। आने वाले विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स मशीनों के उपयोग करने का निर्णय हम तुरन्त ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सौभाग्य से इलेक्ट्रानिक्स मशीनों के बारे में कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। वे हमारे घोषणा पत्र से भले ही न बंधे हों लेकिन अपने घोषणा पत्र से जरूर बंधे होंगे और वे इलेक्ट्रोनिक्स मशीन लाने की सोच सकते हैं मैं यह जानता हूं। हमारे यहां इलेक्ट्रोनिक्स मशीनें उठाकर ले जाई जा सकती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी की जा सकती है। जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण में माइक ठीक न चलते हों वहां इलेक्ट्रोनिक्स मशीनों में गड़बड़ी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन रास्ता हमें ढूढना पड़ेगा। इसमें 75 करोड़ रुपया खर्च करके हमारे पास मशीनें आकर पड़ी हुई हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): They are being manufactured here.

श्री प्रमोद महाजन: जो भारत वालों ने बनाई हैं, बहुत अच्छी बनी होंगी, मुझे पता नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Have you seen them?

श्री प्रमोद महाजन: मैंने देखी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): They are good ones.

श्री प्रमोद महाजन: 75 करोड़ की मशीनें बेकार पड़ी हैं। अगर उसका उपयोग करें तो 75 करोड़ रुपये बच सकते हैं। 20 करोड़ रुपये हमने केवल वोटिंग पेपर पर यानी मतदान पत्र पर खर्च किये हैं। इलेक्ट्रोनिक्स मशीनों का उपयोग करके इसको बचाया जा सकता है, और काउंटिंग में जो हजारों लोग लगते हैं; झगड़ा करते हैं, बन्दूकों की नोक पर वोटिंग होती है उन सबसे बचा जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोनिक्स मशीनों को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। यह चुनाव की प्रक्रिया में सुधार के लिए अच्छा होता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि अनाप-शनाप धन का अपव्यय होता है यह दूसरा अभिशाप है।

किसी सदस्य ने मेरे दल पर आरोप लगाया है कि हम विदेश से पैसा लाये हैं। इसको सारी चर्चा मैं नहीं करना चाहता

[श्री प्रमोद महाजन]

क्योंकि मैं समझता हूं हर व्यक्ति अपने स्तर से सोचता है और उसी स्तर से आरोप लगाता है । उसी स्तर से आरोप का उत्तर देने का यह स्थान नहीं है इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा लेकिन यह न समझ लिया जाए कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह हमने स्वीकार कर लिया हैं इसलिए संसदीय कार्यप्रणाली के अनुसार टु कीप दे रिकार्ड स्ट्रेट में इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो कहा उसमें सच्चाई का कोई अंश नहीं है ।

अनापसनाप धन को कैसे रोकें ? आज कानून की मर्यादा डेढ़ लाख रुपए की है। हम सभी जानते हैं कि डेढ़ लाख रुपए में कोई चुनाव नहीं जीता जाता है । मैंने दो दिन पहले कहीं समाचार-पत्र में पढ़ा कि जब लोक सभा में शपथ विधि हो रही थी तो बाहर एक ग्रामीण व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि अन्दर क्या हो रहा है ? दूसरे ने जवाब दिया कि झूठी कसमें खा रहे हैं । हम में से हर व्यक्ति जब कसम खाता है तो पहली कसम तो यह है कि चुनाव ही झूठ के आधार पर होता है । डेढ़ लाख रुपए में कोई चुनाव नहीं करता । कभी कभी तो कहा जाता है कि मैंने चुनाव 10 पैसे में जीता है । दस पैसे में फार्म ले लिया, डिपोजिट वापस मिल गया और मैं जीत गया । मैंने अपना कोई खर्चा नहीं किया । मुझे लगता है कि हम लोग आर्थिक मुद्दे पर बहुत चिन्तित हैं। एक तो इसकी उपयुक्त मर्यादा बढ़ानी चाहिए । केवल मर्यादा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। दल के द्वारा और दोस्तों के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। हम पर भी इस संबंध में आरोप है । मान लीजिए कोई राजनैतिक दल अगर समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है तो सभी विज्ञापनों का खर्चा सभी उम्मीदवारों पर बराबर बांटा जाय ताकि दल के द्वारा जो अनापसनाप खर्च होता है, मित्रों द्वारा होता है, उस पर भी नियंत्रण रखा जा सके । अगर मैं चुनाव लड़ूं तो प्रमोद महाजन मित्र मंडली बन जाती है और वह चाहे तो करोड़ों रुपयों का विज्ञापन दे सकती है । वह कानून के अन्तर्गत नहीं आ सकता है । चुनाव मेरे लिए हो रहा है, खर्चा मेरे लिए हो रहा है, वह सब दल करता है या दोस्त करते हैं, मैं नहीं करता हूं । फिर मैं यहां व्याख्यान देता हं कि चुनाव में सुधार होना चाहिए और अच्छे नेता का चुनाव होना चाहिए । जब जन्म ही पाप से हो तो तब कोई पुण्य कमाने की कोशिश में जाएगा तो इस पर विश्वास रखना बहुत कठिन है । इसको जोड़ने के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मान्यता प्राप्त जो राजनैतिक दल हैं उसका खर्चा भी शासन उठाने की व्यवस्था करे । अन्य दलों में होता है । उसके साथ कुछ चीजों पर पाबन्दी लगायें । जैसे दूरदर्शन पर हमारा दल विज्ञापन नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब समाचार पत्रों पर भी पाबन्दी लगाई जाय क्योंकि खर्चा कम्पीटीशन से बढ़ता है । उनका एक झण्डा लगा तो मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि हमारा जोर कुछ कम दिखाई दे रहा है। उसने दो झण्डे लगा दिये । उनके तीन पोस्टर लगे तो हमारे चार लगा दिये जाते हैं । विज्ञापनों पर खर्चा एक दूसरे को देख कर इतना बढ़ जाता है कि इस संबंध में कोई विधान बनाया जाय तो बड़ी मदद होगी ।

मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सभी राजनैतिक दलों का पब्लिक एकाउंटिंग हो । गणेशोत्सव के लिए और दुर्गापूजा के लिए दस बच्चे इक्ट्ठा होते हैं और पांच हजार रुपए इक्ट्ठा करते हैं तो उनको चेरिटी कमिश्नर को हिसाब देना पड़ता है । जो राजनैतिक दल करोड़ों रूपए खर्च करके सत्ता में आते हैं या विरोधी दल में आते हैं उनको कोई हिसाब नहीं देना पड़ता है। किसी उद्योगपति के पास 10 लाख रुपए आ जायें तो उससे पूछा जाता है कि यह पैसा कहां से आया। लेकिन अगर किसी नेता को मिल जाएं तो वह कह देता है कि ये तो मेरी पार्टी के हैं, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सभी राजनैतिक दलों का पब्लिक एकाउंटिंग हो जाय तो उनके हिसाब पर नियंत्रण रहेगा। ऐसी स्थिति में कोई चोरी करेगा तो जिस प्रकार से सार्वजनिक कम्पनियों

की चोरी को पकड़ने का प्रयास किया जाता है वैसे ही अगर राजनैतिक दल चोरी करेंगे तो उनको भी पकड़ने की व्यवस्था हो सके, ऐसे पब्लिक एकाउंटिंग का निर्माण होना चाहिए । आज इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ छोटे-छोटे सुझाव हैं।

चुनाव आयोग की रचना में भी हमको मूलभूत सुधार पर विचार करना चाहिए । इस बार चुनाव आयोग का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा, मानते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति तो चले जायेंगे लेकिन चुनाव आयोग तो चलता रहेगा । चुनाव आयोग को शक्ति देने की आवश्यकता है । चुनाव आयोग अपने आप में चुनाव के समय में प्रति प्रधान मंत्री नहीं है, यह कर्तव्य भी उसको बताना पड़ेगा । वर्तमान व्यवस्था में क्योंकि हम प्रधान मंत्री हैं, हम मुख्य मंत्री हैं क्योंकि हम फलां मंत्री हैं इस लिए हम चुनाव आयोग को दबाते जायें यह भी नहीं होना चाहिए । इसलिए इसमें एक प्रकार का अच्छी तरह का संतुलन रहना चाहिए। इसलिए जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैट के बारे में विचार करते हैं उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के संबंध में हमको विचार करना चाहिए । मैं यह मानता हूं कि बहु-सदस्यीय आयोग अगर बने तो उससे भी एक सदस्यीय आयोग की अपेक्षा लाभ हो सकता है। चुनाव आयोग में अत्यन्त आवश्यक सुधार की आवश्यकता है और उनमें से एक है चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन । हम गये वर्षों से चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं कर पाये हैं । हमेशा बताया जाता है कि कानूनी पाबंदी है कि दो हजार साल तक हम पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं । यह असत्य है । कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है । हम संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं । अगर महाराष्ट्र से 48 संसद सदस्य आते हैं तो उसको हम 50 नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन 48 में, बंबई में हम देखते हैं कि दक्षिण बंबई में 6 लाख मतदाता हैं जब कि उत्तरी बम्बई में 20 लाख मतदाता हैं। तो यह 20 लाख और 6 लाख इतना अंतर अपने आप में अच्छा नहीं है । यह तो दो मिनट का काम है । इसकी प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए, 6 महीने के अन्दर पुनर्गठन शुरू हो जायेगा ।

महोदय, वर्षों से कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं । जो स्थान जनजातियों के लिए आरक्षित हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि अधिकांशतः आदिवासी लोग ही वहां रहते है । लेकिन जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं क्या उनमें कोई चक्रीय परिवर्तन हम नहीं कर सकते ? अगर चार-पांच सात चुनावों में वहां के लोगों को हर बार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ही मत देना पड़े तो उसकी भी अपनी एक प्रतिक्रिया होती है जो कि सामाजिक तनाव के रूप में उभरती है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए ।

मतदान की गुप्तता यह जो मतदान का सबसे प्रमुख अंग है वह आज नहीं है, इसके बारे में सबको मिलकर सोचना चाहिए । जो मत-पत्र आते है उस पर सीरियल नंबर होते हैं । जहां सीरियल नंबर होते हैं वहां मेरे हस्ताक्षर लिए जाते हैं । जिस पर मैं ठप्पा लगाता हूं उस पर भी सीरियल नंबर होता है । तो मेरा सीरियल नंबर कौन सा है यह तो पता चल जाता है, नीचे ऊपर दोनों तरफ अगर सीरियल नंबर है तो मुझे लगता है कि बड़ी मात्रा में हम गुप्तता बनाये रखने में सफल हो रहे हैं क्योंकि कोई इसको इतनी बड़ी मात्रा में देखता नहीं है । लेकिन एक दिन वह आयेगा जब सीरियल नंबर के आधार पर किसने किसको मत दिया है इसको ढूंढकर निकालना मुश्किल नहीं होगा । इसलिए सरकार को इस संबंध में भी, जिससे हिसाब ठीक रहे, अगर सीरियल नंबर का मतलब हिसाब से ही है तो यह ठीक रहे और यह गुप्तता बनी रहे इस पर विचार करने की जरूरत है ।

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणापत्र में राष्ट्रीय संवाद और राष्ट्रीय सहमति की बात

कही गई है । मैं समयाभाव के कारण इस समय इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन चाहे अध्यक्षीय चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सुधार है । हमने कई बार देखा, जैसा कि पाण्डेय जी अभी कह रहे थे कि 52 लोगों की भी सरकार हो सकती है जिसके पास कोरम तक नहीं है और वह देश की सरकार बना सकते हैं । ऐसी अवस्था कल नहीं आयेगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं । जिस प्रकार से देश की राजनीति चल रही है उसको देखते हुए अगर हमें इससे उबरना है तो हमें इसके मूलभत ढस से परिवर्तन करना चाहिए और इस पर भी राष्ट्रीय संवाद और राष्ट्रीय सहमति का प्रयास करना चाहिए । लेकिन जब तक इसपर राष्ट्रीय संवाद और राष्ट्रीय सहमति न हो, तब तक हमें इन सात-आठ छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर इनको हम तुरंत कर लें तो मुझे लगता है कि देश के जनतंत्र को हम अधिक स्वस्थ्य बनायेंगे । आज हम गौरव से कहते हैं कि यह देश सबसे बड़ा जनतंत्र है कल हम यह बात भी बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा अच्छा जनतंत्र है । इस प्रकार की व्यवस्था हम बनायें, इस प्रार्थना के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

SHRI YASHWANT SINHA: Mr Vice-Chairman, the Resolution which has been moved by my colleague Shri Satya Prakash Malviya draws our attention to three specific issues: first, the manner in which elections in some constituencies were countermanded: second, the manner in which the State Assembly and the Lok Sabha polls in Punjab were postponed and the third, in fact that is the first, the maner in which a decision was taken to postpone the elections by a few days after the sad and cruel assassination of the former Prime Miniter Shri Rajiv Gandhi. But the reference to these three specific issues also raises very many general points. I must commend the speech which has just now been made by our friend Shri Pramod Mahajan, specially the part where he says that these are issues over which we must ponder by raising ourselves above party considerations. I think the basic tragedy of this democracy has been the fact that whenever such important questions have confronted us, most of us have tended to look at it through the prism of our parties and that is where I think we have all tended to go wrong. So, I shall appeal on my behalf also that this is one subject where we should try and rise above petty partisan political considerations because this involves the future of the democratic fromework in our country of which we are justly proud.

Now, a number of questions, as I said, Mr. Vice-Chairman, arise. The last elections have raised all these questions to which answer must be found as urgently as possible. If we really want to get on with the job, if we want to prevent all that has happened in the past and about which we are all vociferously complaining in this House, it is very important that the Government should address itself to these tasks and on the basis of consensus amongst the politcal parties and amongst others who are thinking on this subject, we should be able to evolve the answers and these answers then must get refeflected in the legislation which the Government should bring preferably in this Session of Parliament itself so that the elections to the 35 constituencies which are still due, which will follow, would be conducted after the electoral system has been somewhat reformed, if not fully set right.

One important question, Mr. Vice-Chairman, which is agitating all of us is the manner in which the elections have been conducted by the Election Commission, the manner in which certain decisions have been taken. Now, I entirely agree that we should not level personal allegations. We are talking of an institution which comes under the Constitution, which bears a very onerous responsibility. The entire superintendence and conduct of the election and control over the electoral machinery vests with the Election Commission. It is a very important charge and at a given point of time it assumes real paramountcy over all other

organs of the Government. Therefore, it is very important that this Commission should not merely take decisions which are right but which also appear to be right. I think, that is where a lot has perhaps gone wrong. I am one of the persons who have been affected by one of the decisions of the Election Commission. But I don't want to reduce the debate to a personal level. So, I will not talk about it.

But I find it extremely strange for instance that the Commission should lose no time in countermanding elections on the basis of whatever reports it had and then call the candidates and the Returning Officers and other officials for a hearing. This is acting first and thinking later. This is one procedure which I just could not understand and, therefore, there is need for the Election Commmission itself, perhaps, to set its internal procedures right, to define them for the benefit of the public so that people also know what exactly is the procedure which is going to be followed apart from what has been laid down in the law. Is there any need for laying down rules under the Representation of People Act which will determine procedure for countermanding? Section 58A was introduced in 1989 and I think it was a very valid amendment because it took congnizance of the situation which had arisen in the country over a period of time. Before this amendment and before Section 58A was introduced, as we all know, an election could be countermanded only on the death of a candidate. This was the first time that the Election Commission was given the power to countermand election on the basis of unfair electoral practices. You will recall the famous Garhwal case because then this amendment was not there. It could call for a repoll in the entire constituency. This is the situation where we are clothing the Election Commission with more and more powers and, therefore, it is very essential that these powers should not only be properly exercised but they must also appear to have been properly exercised. Therefore, I am suggesting that there should be a clearly laid-down procedure and a Notification issued by the Election Commission to say that this is the procedure which the Election Commission is going to follow in this case.

Now take the question of Punjab. I am for a while setting aside the question of the merit of that decision, even if the decision did not appear to have merit in the minds of some people, should an august body like the Election Commission take advantage of the twilight zone which is there between one government and another? The morning of the 21st June was such a twilight zone. It was a period when one government was going to demit office and another government was going to take office. It was at that point of time that the Election Commission took this momentous and sudden decision to postpone election in Punjab. And one does not know; because it will, perhaps, remain a mystery in the history of this country as to who was consulted and in what manner, and what input went into the Election Commission's consideration in order to enable it to make up its mind. As far as we all know, there was no fresh input in regard to the situation in Punjab which called for the postponement of the election in Punjab except for the fact that one government was demiting office and another was going to take office a little while later. Now, the former Prime Minister claims that he was not informed. Suppose, the law and order situation in Punjab—as my colleague, Mr. Malaviya was saying—had collapsed; suppose, there was a tremendous spurt in violence in Punjab. Who would have taken charge? Who would have been responsible for that? Didn't even courtesy demand that the Prime Minister at that point of time should have been taken into confidence or at least he should have been informed about it? Can this action be ever justified where a whole election in one State is set aside or postponed without the Government which is in power at that point of time being informed about it? This is a situation which I think we are going to face increasingly and I think the time has come in our democratic history where each political party has to seriously think about it because as Mr. Mahajan was saying, there are political parties which are

in power in various States. No political party can claim to have a monopoly over it and in the Centre. I think, we are going to have a stage where the people are going to subject us to what I call summary trial.

If we do not behave properly, we would be subjected to summary trial by the people, and, therefore, let us not think, even for a moment, that we are going to be permanently in office. Wherever we are, we are not going to continue like that Ottoman Empire, for 500 years. We are all going to face that situation which our former Prime Minister faced when a decision was taken without taking him into confidence, and when he was not informed. The same thing may happen to another Prime Minister too. Do we want to run this type of a system in our country? So, that calls for a very strict regime, a very strict enforcement of the law, after the law is properly amended. That is the kind of discipline and that is the kind of framework which should be provided by us—the Parliamentarians—to the Election Commission so that it can function within that framework and within those norms.

Regarding the countermanding of elections I think, before criticising the Election Commission for the decision it had taken, we, the representatives of all political parties, who are sitting here, should do some introspection on what we have been doing all these years. Why has this situation arisen? Today, I do not know what has been the decision of the Election Commission in the case of Monghyr Parliamentary Constituency of Bihar where the results have been withheld for days together,even after the constitution of a new Government and a new Parliament. The result has not yet been declared in the wretched State of Bihar. Yes, I say wretched because, I personally feel that the beginning of electroal reforms must be made in Bihar. If we want to restore democracy in the country and if we want to have a proper democratic framework and a democratic society, it it very essential that we fully support it and that we look at the whole electoral system. Where does rigging start? When do we start the rigging? Rigging starts when the dates for the elections are announced and when the Election Commission says that the transfer of officials should not be made after a certain date, say, 25th of March, that is when rigging starts by the midnight of 24th March. All the transfers are made. This is the first step that is taken to prepare for rigging, and then, only such officers are posted who, they consider, would be convenient for them in the conduct of elections. Therefore, we start with that first step. After that step is taken, the officers at the lower level are changed, and those officers who would act at their behest are put on duty.

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : बूथ पर ही नहीं ... (व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : बहुत किया जाता है।

श्री रजनी रंजन साहू : बूथ पर कब्जा करने से पहले अफसर पर कब्जा कर लिया जाता है ।

Then, they prepare the list of the polling and presiding officers. That list is prepared confidentially by these officials. That is not disclosed. If I am a candidate and am not a part of the Government, I perhaps come to know of it very late. But it is possible to have large-scale extensive rigging merely on the basis of the constitution of the polling party. This is the second step that is taken. Then, you do all kinds of pinpricks. Somebody is running 2,000 vehicles and I am allowed to run only 7 vehicles. All my vehicles were checked, they were intercepted and they were controlled I am telling you my experience when I was the election agent and when I was going into the counting centre. I was frisked and I was searched by the constables on duty, when the candidate of the then ruling party came, when she came, to the counting area in two-three cars, she was duly receieved by the ommissioner, the Collector, the Re-

turning Officer and other officials and she was escorted to all the places whereas,....

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Who was that?

SHRI YASHWANT SINHA: My time is running out. Sir, it took three hours for me to get to see the Returning Officer, as the election agent of my party's candidate. Now, this is what happens.

Mr. Mahajan was talking about the electronic voting machines and the possibility of the electronic voting machines themselves being captured or flung into a pond or a tank or a river. The whole electoral system is hijacked. What do you do? We really have to ponder over this. Are these electronic voting machines, are these identity cards, that we are talking about, going to help? I can tell you, Sir, that there will be a situation where people with arms will approach all the people in a particular village and say 'You surrender your identity cards and we will go and cast your votes'. Once you have the whole Governmental machinery under your control, you can do what you like. (*Interruptions*) Mr. Vice-Chairman, Sir, I was asked a question in this election. I went to a particular booth which had been captured. I asked the Presiding Officer--I went there half-an-hour after the booth was captured--'Why did you not send a report?' He asked me a question to which I have not been able to find an answer to this day and that is why I am mentioning it here. He asked me: 'Mr. Sinha will you give me protection? I have no answer to this question. Were I in a position to give him protection? Is a candidate in a position to give protection to the Presiding Officer?

Then, there was another instance in Bihar. A raiding party, a booth-capturing party, went to a polling booth. They got hold of all the ballot papers, stamped them in favour of the candidate they were supporting and then put them in the ballot box and went away. Now, afterwards, the other party, the other booth-capturing party, went to the booth. They asked the Presiding Officer: 'What happened to the baliot papers?' That Presiding Officer pleaded his helplessness that they had all been stamped and put in the ballot box and that, therefore, he had nothing to spare. The raiding party said: 'We will teach you a lesson'. They put all the polling officials inside a room and set the whole building on fire. Many of the people were roasted alive.

Therefore, what is it that you are talking about? We can sit here, in air-conditioned comfort, and go on giving learned opinion about this, about that, about this trend, about that trend, etc. But I can tell you that there has been no greater farce. The whole electoral system in most parts of the country has been reduced to a great farce. The sooner you correct it, the better it will be for the future of democracy in our country.

I can suggest a simple thing here. Don't give the ballot papers at one time. Mr. Kumaramangalam is sitting here. I will plead with him. You do not give all the ballot papers at the same time. This does not require amendment of the law. There was a time when the ballot papers used to be given the previous evening. They were put in the ballot box even be-For the Election Process had Started. (*Interruptions*).

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Sir, I am obliged to the former Finance Minister that he has yielded to me.

A decision has been taken that in so far as the Assembly bye-election and the countermanded elections are concerned, which, I think, will be held after the first of October and, in the event of their being held after the first of October, we will be using electronic voting machines. By the time the next General Elections come, we will be having electronic voting machines and, therefore, most of the problems will be solved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sinha, how much more time you will take?

SHRI YASHWANT SINHA: I have still to come to my suggestions part. I will take another five-seven minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) Then, you complete it. You complete your speech and then we will proceed to the next item on the Agenda.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He cannot complete his speech in five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He said, 'five-seven minutes'.

SHRI YASHWANT SINHA: It might take ten minutes.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Five plus seven, twelve minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You please make up your mind. Mr. Sinha.

5.00 P. M.

SHRI YASHWANT SINHA: I have a number of suggestions to make.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Your subject is important. So, I did not want to interrupt you.

SHRI YASHWANT SINHA: That is why I thought, if you permit, I would speak the next time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANNAJI MASODKAR): All right. He will continue next time. Now we go to the Motion of Thanks on the President's Address. Shri R. R. Sahu.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। साथ ही, इस अवसर पर मैं भारत की महान आत्मा भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रति सम्मान भी समर्पित करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Just one minute. Up to what time will we continue this discussion?

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Upto 7 O'clock, it was agreed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Then we will not be in a position to finish it by tomorrow. I will request the House to sit up to 8 O'clock at least. Mr. Gurupadaswamy, I want the sense of the House. There are so many speakers who want to express themselves. Tomorrow we are having this matter closed. Would you agree to 8 or 8.30?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): We can meet till 7 o'clock today and sit through lunch hour tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): But that will not help. There are several speakers.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: All right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): So, let us sit up to 8.00 o'clock today.

Yes, Mr. Sahu, you continue.

श्री जनी रंजन साहू : महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं भारत की महान आत्मा भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति सम्मान समर्पित करता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा कि 21 मई का दिन एक भयंकर दुस्वप्न था। उपसभाध्यक्ष महोदय, हाल में हुए चुनाव के बाद देश में एक दुखद वातावरण बन गया है। देश सांप्रदायिकता, जातिवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के तूफान में फंस गया है। आज देश में हिंसा का वातावरण व्याप्त है और हिंसा के इस वातावरण में